RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2025-27
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

# द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

अक्टूबर–2025 | वर्ष – 17 | अंक : 09 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

## सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

**संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074**
**संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621**
**राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :**
**सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363**
**योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल) मो.: 8299162841**
**हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख – रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030**
**क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :**
**40/69, डी–5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631**
**ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :**
**राजकुमार, उन्नाव**
**मो.: 9889273743, 9392660070**
**हरियाणा राज्य :**
**डा. रमेश रंगा, ग्राम–सराय, औरंगाबाद, पो.–बहादुरगढ़,जिला–झज्जर (हरियाणा),09416347052**
**कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर**
**मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार**
**कार्यालय : ग्रा. व पो.–रामटौरिया, जिला–छतरपुर**
**छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख**
**रमा गजभिये, मो.: 7828273934**
**दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट–III, बदरपुर, नई दिल्ली–44, मो. : 09540552317**
**राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.–1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला–अलवर–301001,**
**मो. : 09887512360, 0144–3201516**
**बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.–08058198233**
**संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :**
**ग्रा व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला–महोबा (उ.प्र.)**
**मो. : 9005204074, 8756157631**
**E-mail : dravinbharat1@gmail.com**
**प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी**
**उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित**

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

**मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें –**
**भारतीय स्टेट बैंक**
**पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर**
**खाता सं.–33496621020**
**IFSC CODE-SBIN0001784**

# अशोक विजयदशमी

वर्तमान में दशहरे का स्वरूप

यह पर्व आश्विन मास की शुक्ल–पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन रामचन्द्र ने लंका पर चढ़ाई करके महाराजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। अर्थात् राम ने रावण की हत्या की थी। विजयदशमी को राष्ट्रीय पर्व की मान्यता प्राप्त है। वैसे मुख्य रूप से यह हिन्दू वर्ण–व्यवस्था के आधार पर क्षत्रिय का त्योहार माना जाता है क्योंकि यहा वर्ण–व्यवस्था के आधार पर ही सब चीजों का बंटवारा निर्धारित है चाहे वह जन्म, कर्म हो या फिर रस्मो–रिवाज या त्योहार आदि ।

दशमी के दिन लगातार दस दिनों तक धमूधाम के साथ निकाली जाती है और रावण वध का प्रदर्शन होता है तथा मेले–तमाशे का आयोजन और दुर्गा पूजन होता है। उसी दिन हिन्दुओं के लिए नीलकठ पक्षी का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है।

दशहरे से जुड़ी हिन्दू मान्यताएं

दशहरे के सम्बंध में कही जाने वाली कुछ कथाएं इस प्रकार हैं–

1. एक बार पार्वती जी ने शंकर से पूछा कि ''लोगों में दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है?'' तो शिवजी ने बताया कि ''आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय 'विजय' नामक काल होता है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को युद्ध के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए।'' इसकी पुष्टि हिन्दू ग्रंथ ज्योतिर्निबन्ध से भी होती है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। रामचन्द्र जी ने इसी 'विजय–काल' में लंका के महाराजा रावण पर विजय पाई थी। इसलिए यह दिन हिन्दुओं के लिए बहुत बड़ी खुशी का पवित्र दिन माना जाता है। और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते है क्योंकि रामचन्द्र भी क्षत्रिय थे।

हिन्दुओं की ऐसी मान्यता है कि शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस विजय–काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए । अपने तमाम दल–बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए । क्योंकि यह शमी वृक्ष सभी पापों को नष्ट करने वाला है तथा शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। इस वृक्ष ने अर्जुन के धनुष को धारण किया था और रामचन्द्र के लिए भी विजय की घोषणा की थी। पार्वती ने शमी वृक्ष के बारे में स्पष्टीकरण चाहा तो शिवजी ने उत्तर दिया ''दुर्योधन ने पांडावों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे बारह वर्ष तक जैसे चाहें वैसे प्रकट रूप से वन में रह सकते हैं। लेकिन एक वर्ष बिलकुल अज्ञातवास में रहना होगा। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें बारह वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण इसी शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला (हिजड़ा) के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओ की रक्षा के लिए बृहन्नला को अपने साथ लिया। शमी ने अर्जुन के शास्त्रों की रक्षा की थी और अर्जुन ने सही समय पर शस्त्र उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी।''

विजय दशमी के दिन रामचन्द्र ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसलिए उसी विजय काल में ही शमी वृक्ष की भी पूजा का महत्व है।

2. एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी कृष्ण से विजयदशमी के बारे में पूछा तो कृष्ण ने बताया कि– ''हे राजन! विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी, घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे–बाजे के साथ मंगलाचरण करना चाहिए। उसे इस दिन अपने पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहा शस्त्र–पूजा करके अष्टदिग्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति पुतला बनाकर उसकी दाती में बाण भेदना चाहिए तथा उसी समय पुरोहित से मंत्रों का उच्चारण करवाना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा करके हाथी, घोड़ा, शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमान्त में करके अपने महल को वापस आना चाहिए जो राजा इस विधि से पूजन करके विजयदशमी की रस्म पूरी करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है।'' हिन्दू धर्म में दशहरा (विजयदशमी) के लिए उपरोक्त प्रकार की मान्यताएं और कथाएं प्रचलित और मान्य हैं। किन्तु यह उनका अपना दृष्टिकोण है। जो हमने आपकी जानकारी के लिए उल्लेखित किया है।

वास्तविकता

आइए, अब हम दशहरे पर एक तर्कशील एवं बुद्धिवादी दृष्टिकोण रखते हुए उसके वास्तविकता स्वरूप को देखने–परखने का प्रयास करें।

भारत में दशहरे को हिन्दू लोग प्रायः दो तरीको से मनाते हैं। एक राम द्वारा रावण पर जीत कराके तथा दूसरे बड़े पैमाने पर देवी (दुर्गा) का पूजन करके। एक ही त्योहार में दोनों बातों का इतने बड़े पैमाने पर साझा प्रदर्शन होना किसी के लिए भी वास्तविक सच्चाई (कारण) जानने की उत्सुकता के साथ–साथ बहुत कठिनाई पैदा कर देते है। क्योंकि हिन्दू लोग स्वयं कारण कुछ बताते हैं लेकिन काम कुछ और ही करते नजर आते हैं। इस उपलक्ष्य में दस दिन पहले से ही हर गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में एक जगह रामलीला का प्रोग्राम तो होता ही है। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इस दशहरा की तैयारी में महीनों पहले से प्रत्येक गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में जितना भी संभव हो सके उतनी संख्या में दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं । इन मूर्ति स्थलों की संख्या रामलीला स्थलों से दस गुना ज्यादा होती है। आम तौर पर देखने में यह दुर्गा माता का ही कोई महत्वपूर्ण त्योहार नजर

आता है लेकिन वास्तविकता रूप में इसे लोग राम से जोड़ते हैं। इस भूल–भूलैया की स्थिति से बाहर निकलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्योहार के पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है? दशहरा को लोग विजयदशमी का नाम क्यों देते हैं? इसके पीछे का इतिहास क्या है? तथा इसका इस देश के मूलनिवासी बौद्धों से क्या सम्बंध है ?

सम्राट अशोक और विजयदशमी का इतिहास

दशहरें के सम्बन्ध वास्तव में भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक से है। महाराजा अशोक विश्वविख्यात महान शासक थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। किसी भी राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता को मापना ठीक नहीं। उनकी महानता तो उनके मानववादी सिद्धान्तों के कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धान्तों के आधार पर ही उन्होंने शासन किया। अपने दसवें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि ''राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है।'' यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया ।

उन्होंने अपनी प्रजा को सद्धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने का आदेश दिया और अहिंसा तथा सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनाया। उनका उद्देश्य था प्रजा की सर्वोपरि उन्नति। वास्तव में वह समस्त विश्व के प्राणियों का कल्याण चाहने वाले थे। जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की गौरवशाली कला और संस्कृति की शुरुआत भी सम्राट अशोक के समय से ही हुई। धम्म और बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला इसके सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। उन्होंने आज से दो हजार वर्ष पूर्व भारत और पूरे विश्व को वही पाठ पढ़ाया जिसे आज संसार के सभी शांतिप्रिय देश संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संचालित व क्रियान्वित करना चाहते हैं।

ऐसे महान सम्राट अशोक का जन्म इस पावन भारत भूमि पर अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार लगभग 304 ईसा पूर्व चैत्र मास में शुक्ल–पक्ष की अष्टमी को हुआ था दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है और उनके पिता का नाम बिन्दुसार था। जो मगध देश के राजा थे। जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक बचपन से कही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि का धनी था। बड़ा होने के नाते शीघ्र ही उसने सभी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। अशोक के सौतेले भाईयों में सबसे बड़े भाई का नाम सुसीम था। इसलिए राजा का उत्तराधिकारी होने का हक उसी का था किन्तु अशोक की तीव्र बुद्धि को देखकर सभी अमात्य अशोक को ही उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में थे। इससे असमंजस में पड़े राजा को सभी राजकुमारों की परीक्षा लेकर भी सुसीम और अशोक दोनों को उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। महाराजा बिन्दुसार ने सुसीम को उपराजा बनाकर तक्षशिला भेजा और अशोक को उज्जैन के लिए रवाना किया। उज्जैन के रास्ते में ही विदिशा नगरी पड़ती थी। अशोक ने उज्जैन जाते समय यहीं पड़ाव डाला था। यहीं पर स्कन्धमित्रा की अशोक से मुलाकात हुई और स्कन्धमित्रा को देखकर अशोक बहुत प्रभावित हुआ। अशोक ने अपने आमात्यों से कहकर उसके माता–पिता का पता लगवाया और स्कन्धमित्रा को पसन्द करने की बात कही। यह जानकर नगर सेठ ने अपनी कन्या का विवाह कुमार अशोक के साथ कर दिया। वास्तव में यह कन्या शाक्य कुल से ही थी किन्तु परिस्थितिवश उसके पूर्वज विदिशा में आकर बस गए थे। यही देवी, विदिशा महादेवी के नाम से जानी जाती है। किन्तु वर्तमान सूत्रों के अनुसार महान अशोक की रानी का नाम असंधिमित्रा बताया जाता है।

अशोक असंधिमित्रा के साथ उज्जैन पहुँचे वहाँ की शासन स्थिति ठीक हुई। विवाह के एक वर्ष बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। जिसका नाम महिंद (महेन्द्र) रखा गया । इसके दो वर्ष के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम संघमित्रा (संघमित्रा) रखा गया ।

कुछ समय पश्चात महाराज बिन्दुसार मरणासन्न अवस्था पर पड़ गए तो उस समय पाटलीपुत्र में न तो सुसीम था और न ही अशोक। महाराज बिन्दुसार की इच्छा थी की इस समय सुसीम ही उनका उत्तराधिकारी बने किन्तु उसके आमात्यों के विचारानुसार केवल अशोक ही योग्य उत्तराधिकारी हो सकता था। उन्होंने अशोक को तुरन्त उज्जैन से पाटलिपुत्र आने का संदेश भिजवाया । अशोक सन्देश पाते ही पाटलिपुत्र आ गया सुसीम को भी संदेश दिया गया था किन्तु वह अज्ञात कारणों से समय पर नहीं आ सका।

महाराजा ने जब देखा कि सुसीम का कहीं कोई अता–पता ही नहीं, केवल अशोक ही उसके पास है। राजा ने अपना अंतिम समय नजदीक आता देख अपने सिर से राजमुकुट उतारा और अशोक के सिर पर रख दिया। इस प्रकार आमात्यों के प्रयत्नों से अशोक को सम्राट का पद प्राप्त हुआ। अशोक के राजा बनते ही राजमहल मे खुशियाँ छा गई। अशोक सन् 273 ईसा पूर्व के लगभग 34 वर्ष की आयु में मगध के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। जनता को अशोक की सामर्थ्य और शक्ति पर पूरा विश्वास था ।

अशोक के सम्राट बनने से राजधानी पाटलिपुत्र में उत्सव मनाया जाने लगा, किन्तु उपराजा सुसीम को जब यह समाचार मिला, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिको के साथ राजसिंहासन को बलपूर्वक हथियाने के लिए तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर कूच कर दिया। कहते हैं कि अशोक ने पाटलिपुत्र के बाहर अस्त्र–शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों को बिठा दिया। जैसे ही राजकुमार सुसीम ने पाटलिपुत्र की सीमा में प्रवेश किया अशोक के सैनिको ने उसे घेर कर मार गिराया। इस प्रकार अशोक के समक्ष अब कोई राज्य का दावेदार नही रहा और वह मगध के एकछत्र महाराजा बन गए ।

सम्राट अशोक के बड़े भाई उपराजा सुसीम की मृत्यु के समय उसकी रानी सुमना गर्भवती थी। उसने सोचा कि अशोक के सैनिक उसे भी मार डालेंगे इसलिए अपनी जान बचाने और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उसने एक चांडाल के घर जाकर शरण ली । कष्टों में जीवन निर्वाह करती हुई कुछ दिनो पश्चात् न्यग्रोध (वट=बरगद) के पेड के नीचे उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव के एक मुखिया ने राजपरिवार के सदस्य होने के कारण माता–पुत्र दोनो की सात वर्ष तक अपने संरक्षण में रखकर सेवा की। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम 'न्यग्रोध कुमार' पड़ा ।

उसके श्रामणेर होने के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उस युग में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार था। अच्छे–अच्छे बौद्ध भिक्खु अपने त्यागमय जीवन और विद्वत्ता से लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित कर रहे थे। अतः 'न्यग्रोध' भी विद्वान बौद्ध भिक्खुओं के संपर्क में रहकर बौद्ध बन गया । श्रीलंका के महावंस नामक बौद्ध ग्रंथ में न्यग्रोध के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है।

**साभार**
**त्योहारों के रहस्य**
**रोशन बौद्ध**
**(पृ.सं. 11 से 15 तक)**

# आदिवासीयों का इतिहास

आज से लगभग 4500 हजार वर्ष पहले भारत में आर्य आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ। उस समय भारत का शासक आदिवासी–द्रविड़ थे जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बसे हुए थे। अफगानिस्तान, बंगाल, भूटान सभी भारत के अंग थे। आर्यों और यहां के मूलनिवासी अनार्य (आदिवासी) के शारीरिक संरचना में भिन्नता थी। आर्य का गोरा रंग लंबा कद भूरे कालेबाल, खुलासा दाढ़ी मुंछ दीर्घकपाल, लंबोतर चेहरा, लंबी नाक, सीधी आंखे और छोटे दांत थे। यहां के अनार्य काला रंग,घुंघराले बाल, चौड़ी और मोटी नाक, मंझोली दाढी–मूछ, मोटे होठ, बाहर निकला जबडा और नाटा कद था। आक्रमणकारी विदेशी यूरेशिया, कालासागर के पास पामिर के पठारी से बोल्गा नदी के किनारे किनारे होते हुए ईरान के रास्ते सिंध नदी को पार कर भारत में प्रवेश किया। आर्य सबसे पहले आदिवासी का महान सभ्यता सिंधुघाटी की सभ्यता को नष्ट किया। यह सभ्यता दूनिया की विकसित सभ्यताओं में एक थी। आर्य पशुचारी और घुमक्कड़ थे, जिन्हें विकसित सभ्य असूर सभ्यता का वैभव पूर्ण जीवन कतई पसंद नहीं था। यही कारण है कि आर्यो ने आदिवासी सभ्यता का नाश किया। आर्यों का मुकाबला यहां के मूलनिवासी आदिवासी सम्राटों से हुई। आर्यो के मुख्य शत्रु भारत के प्राचीन निवासी अनार्य थे। आर्य उन्हें, दैत्य, दानव दस्यु, दास, असूर, राक्षस आदि नामों से पुकारते थे। ऋग्वेद में उन सभी को विभिन्न नामों से भी पुकारा गया है। विदेशी आर्य ही भारत के देव, देवता, सूर, विप्र आदि नामों से जाने गये। भारत के मूलनिवासी, अनार्य दैत्य, दास असूर, राक्षस की वर्तमान में आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति है। शास्त्रों, रामायण, महाभारत, पूराणों में राक्षस को लंबा दांत, जानवर की तरह सिंग, भयानक शक्ल वाला बतलाया गया है जो बिलकुल गलत है। मानव से परे इस प्रकार की कोई नस्ल नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी पर कहीं न कहीं इस प्रजाति का वंशज अवश्य मिलता। डायनासोर का जिवाश्म जो पांच लाख पूर्व का था खूदाई से निकल सकता है तो उसी प्रकार राक्षस असूर जिसे लंबा दांत और सिंध था, वह अवश्य मिलता। वास्तव में अपने लोगों की रक्षा करने वाले रक्षक ही राक्षस कहलाये। आज भी असूर जाति के लोग झारखण्ड के लातेहार, पलामू, लोहरदग्गा और गुमला में है, जिनकी जनसंख्या 1991 के अनुसार 9122 है।

ऋग्वेद में असूरों के दूर्गों तथा पूरों को नष्ट करने के लिए निरन्तर देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं। ऋग्वेद में 2 लाख 66 हजार मूलनिवासी अनार्यो का कत्ल होने का प्रमाण है। अंत में इस संघर्ष में आर्यों की विजय हुई। आर्यो की छल कपट पूर्ण हमला रथ और उनके घोड़ों का प्रयोग तथा तीक्ष्ण धार वाले हथियार विजय के मुख्य कारण थे। बहुत से अनार्य (आदिवासी) दास बना लिये गये, बहुत से दक्षिण भारत चले गये और बहुत से अनार्य पहाड़ी, अथवा जंगलों में चले गये। दास बनाये गये अनार्य (आदिवासी) से आर्यो ने सेवा का काम लिया जैसे पालकी ढोने वाला कहार बाल दाढ़ी बनाने वाला हजाम, साग–सब्जी उगाने वाला कोयरी–कूर्मी, दुध–दही पहुंचाने वाला ग्वाला, लोहा कूटने वाला लोहार, इत्यादी अनेकों जातियों का निर्माण कालांतर में हुआ जिसे आज पिछड़ी जाति (ओ. बी. सी.) कहते हैं। जंगल–पहाड़ में जो अनार्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चले गये, उसमें से कुछ जंगली जानवरों की दंष एवं भूख प्यास को बर्दास्त नहीं कर सके, वे जंगल पहाड़ से निकलकर दुश्मनो (आर्यों) के सामने हथियार डाल दिये। आर्यो ने उसे ज्यादा खतरनाक समझकर गांवों के बाहर रखा और उनसे निष्कष्ट काम कराया। नाला साफ जिसने किया कालांतर में डोम–मेस्तर, मरे हुए जानवरों को चमरा उधेडने वाला चर्मकार या चमार और कपड़ा धोने वाला धोबी कहलाया। इन लोगों को आर्यों ने अछूत घोषित किया। आज ये अनुसूचित जाति हैं। जो जंगल पहाड़ में रह गये दुश्मनों की गुलामी स्वीकार नहीं किया उसे आज

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

अनुसूचित जन जाति या आदिवासी कहते हैं। आदिवासियों के प्रथम पूर्वजों ने जंगल के फल–फुलों, कन्द–मूलों, जंगली जानवरों तथा नदी नालाओं की मछली को खा कर जीवन यापन किया। ये आदिवासी आर्यो के सम्पर्क में नहीं रहें इसलिए वह अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाये रखा। पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति आर्यों के सम्पर्क में रही और गुलामी किया इसलिए अपनी सभ्यता/संस्कृति खो दिया। आर्यो ने यज्ञ हवन किया, तो अछूतों एवं पिछड़ा वर्ग को भी साफ–सफाई में लगाया। इस प्रकार होली, दशहरा में देवी–देवताओं कह पूजन का नकल में ये गुलाम करने लगे। कभी ये आदिवासी (अछूत और सछूत) जंगलों पहाड़ में रहने वाले आदिवासी के तरह ही प्रकृति पूजक थे, इनका अपना प्रकृतिक धर्म जैसे 'सरना' इत्यादि था और अभी भी सरना धर्म लोकप्रिय है।

इस प्रकार प्रमाणित होता है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आदिवासी तीनों भाई थे जो दुश्मनों के हमलों के कारण बिछड़ गये, और अपना सभ्यता/संस्कृति, राज–पाट खो कर गुलाम बन गये। आदिवासी अपनी भाषा संस्कृत परम्परा को संजोये हुए हैं। लेकिन दुःख इस बात की है कि आदिवासी भी अब आर्यों एवं उनके गुलामों के सम्पर्क में आकर अपनी प्रकृति परम्परा/संस्कृति छोड़ रहें हैं। ये भी हिन्दूओं की तरह, पूजा–पाठ, बजरंगबली, काली, दुर्गा की मूर्ति पूजन एवं होली दशहरा मनाने लगे हैं।

आर्य विदेष से आक्रमणकारी के रूप में आये, और यहां के मूलनिवासी को गुलाम बनाया, इसका अनेकों ऐतिहासिक प्रमाण है। विदेशी आर्य ही आज के दिन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है और आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति ही यहां के मूल निवासी हैं, अब तो वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो गये हैं।

## वर्तमान स्थिति

1. आज पूरे देश में 83 करोड़ लोगों को मात्र 10 रूपये से 20 रूपये ही आमदनी है। यानी भूखमरी के कगार पर है। उनमें सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार आदिवासी लोग हैं।

2. छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट और संताल परगना टेनेन्सी एक्ट के तहत् आदिवासी का जमीन बेचा–बेची, दान करके। अदला–बदली करने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी उनकी जमीन तेजी से गैर आदिवासी के साथ बिक रहे हैं। और उस पर बड़े–बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं।

3. भारत देश में आदिवासी मजदूरों का तस्करी कर, मलेशिया, वर्मा, ईराक, अफगानिस्तान, सिंगापुर, आदि देशों में भेजा गया। सन् 1916–17 में 11000 संताल आदिवासी श्रमिकों को मेसोपोटामिया (इराक) एवं 1493 श्रमिकों को दूर संचार विभाग के लिए आकायाव (वर्मा) भेजा गया। बंगाल गजेटियर के अनुसार 10 लाख संथाल असम के चाय बगानों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चले गये। असम में स्थायी निवासी हो जाने के कारण जब वे नागरिकता की मांग की तो दो साल पूर्व बेरहमी से पीट–पीट कर हत्या की गई। आदिवासी युवती को सरे आम सड़क पर नंगा कर दौड़ाया गया। दिनांक 31 अक्टूबर को तो असम में 400 आदिवासी घरों को फूंक दिया गया।

4. संविधान में अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत नौकरी में आरक्षण रहने के बावजूद अब तक 4.3 प्रतिशत ही कोटा भरा गया है। 25 वर्ष नौकरी करने के बाद भी उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। दूसरी ओर उनसे कनीय पदाधिकारी जो सामान्य वर्ग के है, प्रोन्नति दे दी गई है।

सरकारी रिपोर्ट 2009 के अनुसार अनुसूचित जाति 15 प्रतिशत में 11.9 प्रतिशत, आदिवासी 7.5 प्रतिशत में 4.3 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग 52 प्रतिशत में 4.7 प्रतिशत नौकरी में है। अकेली ऊँची जाति जो 15 प्रतिशत के लगभग है वे नौकरी में 79 प्रतिशत है। आदिवासी ये समझते है कि मेरा हिस्सा एस. सी./ओ. बी. सी. ने खा लिया। अगर ऐसा होता तो एस.सी. का कोटा 11.9 प्रतिशत और ओ.बी.सी. का कोटा 4.7 प्रतिशत नहीं रहता। यहां तो तीनों का हिस्सा अकेले उच्च वर्ग खाकर 15 प्रतिशत के जगह 79 प्रतिशत नौकरी ले लिया।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकरजी को संविधान लिखने का मौका मिला तो उस समय कोई आदिवासी नेता नहीं थे। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर नौकरी में संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) द्वारा एस.सी. को 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया तो आदिवासी को भी जनसंख्या के आधार पर 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया। यहां तक की आदिवासी के लिए विशेष सुविधा पांचवी अनुसूचित का प्रावधान किया। जमीन क्रय–विक्रय पर कानूनी रोक लगाई। एम.पी. एवं एम.एल.ए. बनने में भी संविधान के अनुच्छेद 330 एवं 332 द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया। अगर डॉ. बाबासाहब आंबेडकरजी नहीं रहते तो आज आदिवासी का न कोई कर्मचारी पदाधिकारी रहते, न कोई एम.पी. और एम.एल.ए. दिखाई देते। दुश्मन सारी की सारी जमीन हडपकर उन्हें यहां से विलुप्त कर देते। यह गंभीरता से अनुसूचित जन जाति के लोगों को डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के एहसान को समझने की जरूरत है।

## आदिवासी आजाद है?

आजाद भारत में मूलनिवासी आदिवासी आजाद है? क्योंकि आज हम देखते है कि हमारे दुश्मनों के मूलनिवासी बहुजन समाज के चार समूहों के 20 करोड़ 85 लाख लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। उनमें सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार आदिवासी लोग हैं।

## पांचवी व छटवी अनुसूचि पर कोई अमल नहीं।

संविधान की पांचवी अनुसूचि में आदिवासियों को कौन से विशषाधिकार बहाल किये गये हैं तथा इस अनुसूचि के प्रावधानों पर ना अमल कर शासक जाति के लोगों ने आदिवासियों के साथ कौन–सी धोखेबाजी की इस बात को जानने और समझने के पहले इस अनुसूचि के संबंध में इतिहास को समझना जरूरी है।

ब्राह्मण खुद को सभ्य होने का दावा करते हैं और सभ्य होने का दावा करने वाले ब्राह्मण जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को जंगली कहते हैं। 'जंगली' यह गाली है। जंगली का मतलब है असभ्य। और सभ्य लोग असभ्य लोगों को मानवी अधिकार देना नहीं चाहते थे। डा. अम्बेडकर ने संविधान में दूसरे लोगों की तरह ही आदिवासियों को भी मानवी अधिकार बहाल किये। इसके साथ–साथ एक ऐसा विशेषाधिकार बहाल किया जो दूसरे लोगों को नहीं है। 'मनुस्मृति' ने ब्राह्मणों को जो–जो विशेषाधिकार दिये थे, वो सारे विशेषाधिकार डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से खत्म कर दिये मगर आदिवासियों को विशेषाधिकार बहाल किया। संविधान की पांचवी अनुसूचि आदिवासियों का स्वायत्त शासन करने का अधिकार है। स्वायत्त शासन का मतलब है आदिवासियों पर आदिवासी ही राज करेगा।

संविधान की पांचवी अनुसूचि की धारा 3 में कहा गया है कि, ''जो अनुसूचित क्षेत्र है ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल साल के अंत में या राष्ट्रपति को जब आवश्यक लगे तब–तब उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के सम्बंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देना यह गणराज्य की शासनशक्ति के दायरे में होगा।

धारा 4(1) में कहा गया है कि, ''अनुसूचित क्षेत्रवाले प्रत्येक राज्य में तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित करने पर अनुसूचित जनजाति होने पर भी अनुसूचित क्षेत्र नहीं है ऐसे किसी भी राज्य में बीस से कम सदस्योंवाली एक 'जनजाति सलाहकार परिषद होगी और उन सदस्यों में जहां तक सम्भव है लगभग 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजाति के उस राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे।

धारा 4(2) का यह प्रावधान है कि, ''जनजाति सलाहकार परिषद के सामने निर्देशित की जाने वाली राज्य के अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं उन्नति से सम्बंधित बातों पर सलाह देना इस परिषद का कर्तव्य होगा।''

धारा 5(2) में कहा गया है कि, ''अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा या उन्हें आपस में जमीन हस्तान्तरण के लिए मना करना या जमीन हस्तान्तरण पर पाबंदी लगाना यह राज्यपाल का उत्तरदायीत्व है।''

इस देश में सन् 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की 8 करोड़ 44 लाख आबादी है इसमें से लगभग ढाई करोड़ लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। संविधान की पांचवी अनुसूचि इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की साढ़े आठ करोड़ जनता में से 7 करोड़ आदिवासी पांचवी अनुसूचि के क्षेत्र में निवास करते हैं तथा एक करोड़ लोग छठवीं अनुसूचित के क्षेत्र में रहते हैं। संविधान की धारा 330 और धारा 332 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए राजनैतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

धारा 330 के तहत लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए 77 सीटें रिजर्व हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 सीटें रिजर्व है। तथा धारा 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति को जहाँ 600 सीटें रिजर्व हैं वहीं अनुसूचित जनजाति के लगभग 400–450 विधायक सारे देश भर से विधानसभा में चुनकर जाते हैं।

संविधान की पांचवी अनुसूचि में यह प्रावधान है कि लोकसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा चाहे जो भी कानून बनायें, यदि आदिवासियों की सलाहकार परिषद उस कानून को आदिवासी क्षेत्र में लागू करवाना नहीं चाहती है तो लोकसभा और विधान सभा द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता। मगर आज क्या हो रहा है? जल परियोजना के तहत आदिवासियों की जमीन हड़प कर वहाँ डैम बनाने जा रहे हैं। डैम बनाने की वजह से आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं।

संविधान की पांचवी और छठवीं अनुसूचि में कहा गया है कि आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी शोषित हैं। आदिवासियों की सभ्यता, उनकी जमीन, उनके जंगल, वहां की खनिज संपदा और आदिवासियों की कला और संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रावधान इस अनुसूचि में किया गया है। मगर पिछले 58 साल का इतिहास देखा जायें तो शासन और प्रशासनिक स्तर पर इन प्रावधानों का बिल्कूल उलटा काम किया गया।

**संविधानिक संरक्षण है**

(साथियों, आज देश के कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत आदिवासी समाज है। यह भटके–विमुक्त जमातियों के अलावा है यदि उन्हें जोड़ दिया जाए तो यह 2 प्रतिशत होती है।) जब 2011 मे जनगणना होगी तो लगभग आदिवासीयों की जनसंख्या 11 करोड़ रहेगी। इस जनंसख्या के लगभग 65–70 प्रतिशत आदिवासी यह छत्तीसगड़, झारखंड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आन्धप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात के राज्यों में रहते हैं। गुजरात के डांग जिले से पश्चिम बंगाल के 24 परगना तक यह भारत का 'मूलनिवासी बेल्ट' है। जहां हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसी क्षेत्र के भूमि पर हम हजारों सालों से रहते आ रहे हैं और इस जमीन पर हम आदिवासीयो का पारंपारिक हक भी है। यह हमारे स्वामीत्व और अधिकार की जमीन है। जिसे भारतीय संविधान ने 5 वी एवं 6वीं सूची के तहत हमारे लिए सुरक्षित किया है। इन सूचियों के तहत हमें 'स्वयं शासन एवं मालकियत' के अधिकार भी प्रदान किए गए है। जहां 5वी एवं 6वीं सूची ने हमें यह सब दिया वहीं संविधान के अनुच्छेद 14(4), 16 (4) और 335 के तहत हमें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण भी दिया गया है। अनुच्छेद 275 में तो यह प्रावधान है कि भारत सरकार का बजट बनाते समय आदिवासी समाज के लिए अलग से पैसा सुरक्षित रखना होगा। यह सब 'स्वयं शासन, मालकीयत एवं आरक्षण के अधिकार' हमें डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अथक प्रयासों और संघर्ष से प्राप्त हुए जिन्होंने भारत का महान संविधान लिखा। उपरोक्त सभी अधिकार हमें पहली बार 1950 में प्राप्त हुए जब यह संविधान लागू हुआ। डॉ. आंबेडकर को यह ऐतिहासिक काम करने में संविधान सभा में जयपाल सिंह मुण्डा ने मदत की। यह वही जयपाल सिंह है जिन्होंने आदिवासी पहचान एवं अधिकारों का प्रखर विवेचन संविधान सभा में किया। वे निम्नलिखित है :

1) आदिवासी मूलनिवासी है और उनकी संस्कृति लोकतांत्रिक है। 2) मुझे आदिवासी कहने में गर्व है। पूरा देश आदिवासियों का है। 3) आर्यों ने बाहर से आकर आदिवासियों की समस्या पैदा की। 4) भारत के आदिवासी

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

हिंदू नहीं है। आदिवासियों का हिन्दूकरण करना यानी उन्हें गैर–आदिवासी बनाना है। 5) हिंदू महासभा के (आज का आर. एस. एस., विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, बजरंग दल इत्यादी) आदिवासीयों को हिंदू बनाने का षड़यंत्र यह आदिवासियों की जनसंख्या कम करने के लिए हैं। 6) आदिवासियों की भाषा बहुत प्रगत और उन्हें संविधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। 7) शेडयूल ट्राइब इस अंग्रेजी शब्द का भाषांतरण यह 'आदिवासी' होना चाहिए (जब की आज यह जनजाती में किया गया है) और ब्राह्मणवादी वनवासी, गांधीवादी गीरीजन जैसे शब्दों का प्रयोग कर आदिवासियों की मूलनिवासी संस्कृति और संविधानिक अधिकार एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान सभा में मनः पूर्वक धन्यवाद दिया। (संदर्भः संविधान सभा की चर्चाएं, आफिशियल रिपोर्ट, पृ. 893–94 खण्ड 11, पृ. 650–655, 24–9–1949, पृ. 992–996, 5–9–1949, खण्ड 9, प्रकाशक–लोकसभा सेक्रेटरिएट, नई दिल्ली, 1999)

जयपालसिंह यह 1928 के ऑलम्पिक खेलों में हॉकी के टीम के कप्तान भी थे और उन्ही के कप्तानी में हॉकी की टीम 1928 में विजयी हुई थी। जयपालसिंह यह मूलनिवासी क्रांतिवीर बिरसा मुण्डा के उस आंदोलन की देन है जो उन्होंने आदिवासी पहचान, अस्मिता एवं अधिकारों के लिए 1895 से 1900 तक लिया और 'आदिवासी धर्म एवं आदिवासी राज्य' की प्राप्ति के लिए धिक्कूओं (तथाकथित ब्राह्मण, बनिया, बड़ा जमीनदार) से संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के हाथों शहीद हो गए। आदिवासी धर्म यह प्रकृतिवादी, कर्मवादी, नैतिकतावाद एवं सत्यवाद पर आधारित है। यानी यह 'सद्धम्म' है, इसमें मानव और नैतिकता केन्द्र और मानव कल्याण अन्त।

जयपाल सिंग ने संविधान सभा में 2–3 बड़ी महत्त्वपूर्ण बाते कही है उस बात की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात संविधान सभा में जयपाल सिंग ने कही वो ये कहीं की हमें गर्व है हम आदिवासी है और हमें इसलिए गर्व है कि हम इस देश के मूलनिवासी है। 'We are the first people, first inhabitants people of India.' हम भारत के मूलनिवासी है और इस देश की संस्कृति को सबसे पहले हमने निर्माण किया। इसलिए हमें गर्व है कि हम इस देश के आदिवासी है। जयपाल सिंग ने यह पहली बार संविधान सभा में कहीं।

जयपाल सिंग ने कहीं की हम हिंदू नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जयपाल सिंग ने कही की आदिवासी यह हिंदू नहीं। आदिवासी की अपनी अलग संस्कृति है। अपना अलग कल्चर है। अलग रिलीजन है। हम हिंदू नहीं अगर हमें हिंदू बनाने की कोशिश होती है तो इसका मतलब है कि हमें गैर आदिवासी बनाया जा रहा है और हमारी पापुलेशन को कम करने की कोशिश देश में हो रही है। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उसको खत्म करने की ये साजिश है।

आदिवासियों के लिए क्या–क्या अधिकार होने चाहिए। किस तरह के अधिकार होने चाहिए इस पर सुझाव दिये जयपाल सिंग ने और डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने ये तमाम बातों पर ध्यान देते हुए, बाबासाहब का अपना जो कॉन्स्टिटयूशन लॉ और इंटरनेशनल लॉ का जो विजन था संविधानिक कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून का डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का अपना जो नॉलेज था, स्टडी थी वो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने शेडयूल्ड कास्ट से ज्यादा अधिकार दिये ट्राइब्स को बाबासाहब ने। ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है।

भारत में ओबीसी को और शेडयूल्ड कास्ट को केवल आरक्षण है शिक्षा में, नोकरीयों में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण दस–दस साल के लिए राजनीति में आरक्षण। वो दस साल का आरक्षण शिक्षा और नौकरियों में नहीं। शिक्षा और नौकरियों में जो आरक्षण है, उसका कोई टाईम लिमिट नहीं है। आरक्षण के लिए वो अनस्पेसिफाईड है। उसकी कोई समय सीमा नहीं है। जो आरक्षण दस साल के लिए वो केवल राजनैतिक आरक्षण है। जहां तक नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का सवाल है उसका कोई टाईम लीमिट स्पेशिफाईट नहीं है, कॉस्टिटयूशन ऑफ इंडिया में, चाहे आप आर्टिकल 335, 16(4), या 338 पढीयें, आर्टिकल 341, 342 पढ़ीयें, आर्टिकल 340 पढीये, आर्टिकल 46 या 15(4) पढीयें, आर्टिकल 330 या आर्टिकल 332 पढिए – You will find that their is no time limit of reservation in Constitution of India कोई समय सीमा नहीं है आरक्षण की।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने शेडयूल्ड कास्ट और ओबीसीज को केवल शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया लेकिन आदिवासियों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के साथ–साथ दो महत्वपूर्ण अधिकार दिये, कौन से दो महत्वपूर्ण अधिकार दिये? That is called Right of Self Governance & Right of Ownership क्या Self governance का अधिकार? स्वयं शासक का अधिकार और मालकी हक्क का अधिकार। हिंदी में अगर कहू मैं उसको आदिवासी की जमीन गैर–आदिवासी को नहीं देना चाहिए ये मालकीयत का अधिकार, आदिवासी की जमीन में अगर कोई मिनरल है, माइन्स है, खदान है, अगर उसको भी गवर्नमेंट को किसी को देना है तो बगैर आदिवासी के पंचायत के, बगैर आदिवासी की ग्राम सभा के परमिशन के, बगैर वो मायनिंग का परमिशन किसी भी नॉन–आदिवासी को नहीं दिया जा सकता। ये भी मालकी हक का अधिकार है। और स्वयंशासन का क्या अधिकार है? स्वयंशासन का अधिकार है कि हमारा कल्चर कैसे होना चाहिए। आपस में अगर कम्युनिटी में डिसपूट होता है, ट्राइब–ट्राइब में तो उसके लिए हायकोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। Directly Session Court में जाने की जरूरत नहीं, 'ट्राइबल पंचायत' उसको सुलझा सकती है। अपने केवल पर, अगर वो नहीं सुलझेगा डिसपूट आगे की कोर्ट में जायेगा। ये अधिकार कस्टम का। बजेट के अलोकेशन में, जो ट्राइब्ज का प्लैन आता है उसका खर्चा कौन से कामों के लिए होना चाहिए। ये सारे निर्णय लेने के स्वयंशासन के अधिकार डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने पांचवे शेडयूल में आदिवासियों को दिये।

मालकी हक्क का अधिकार छटवे सूची में इससे आगे आता है। कैसे आगे आता है? छटवें सूची में ये और आगे जाता है। छटवें सूची में मान लीजिये अगर गवर्नमेंट को आदिवासियों के जमीन से अगर सोना निकालना हो, मान लीजिये अगर आपको यूरेनियम निकालना हो तो छटवीसूची क्या कहती हैं? छटवी सूची ये कहती है की, गवर्नमेंट भी वो मिनरल्स नहीं निकाल सकती और उसको वो मिनरल्स निकालना है, वो खनिज संपदा को निकालना है तो फिर गवर्नमेंट को आदिवासियों की District Autonomous Counsil को 'रायल्टी' देनी होगी। क्या देनी होगी? रायल्टी देनी होगी Very important point.।

शेडयूल्ड कास्ट के लिए भी कोई ऐसा प्रोव्हिजन नहीं की बजेट अगर बन रहा है तो बजेट में इतना परसेंटेज पैसा रिजर्व होना चाहिए ऐसा कॉन्स्टिटयूशन में कहीं कोई Constitutional Provision (संविधानिक प्रावधान) नहीं है। लेकिन आदिवासियों के लिए वो प्रोव्हिजन हैं, भारत की संविधान का अनुच्छेद 275 ये कहता है। आर्टिकल 275 ये कहता है, बजेट बनाते वक्त बजेट में फायनान्स मिनिस्टर को ये प्रोविजन करना होगा की भारत के आदिवासियों के लिए कितना बजेट का परसेंटेज अलग से निकाल के रखा होगा और वो पैसे का पूरा का पूरा खर्चा केवल Tribal welfare & Tribal development (आदिवासी विकास एवं कल्याण) के ऊपर करना है। ये प्रोविजन भी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने ट्राइब्स को दिया।

1957 में भारत की सरकार को यह मानना पड़ा, भारत देश के आदिवासी मूलनिवासी है और हम उनको मूलनिवासी मानते है जो भी राइट्स होंगे हम उनको देने के लिए तैयार है।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने बोली और लिखी। उस बात को ॲडाप्ट किया। तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कॉन्स्टिटयूशन में राइटस दिये। दलितस को केवल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन शिक्षा में और नौकरी में, लेकिन आदिवासी को आरक्षण के साथ साथ स्वयं शासन और मालकीयत का अधिकार दिया। किसी समाज के उन्नति के लिए संविधान में प्रावधान होता है, ऐसा नहीं है, सरकार जैसे चाहे तो वैसे बजेट बना सकती है और लोगों को लगता है कि यह ठीक बजेट नहीं बना तो पाँच साल में उस सरकार को चेंज कर सकती है लेकिन किसी एक समाज के लिए अगर कॉन्स्टिटयूशन में प्रोविजन हो, स्पेशली बजेट में प्रोविजन करने का अगर डायरेक्टीवज हो तो वो केवल और केवल आदिवासी समाज के लिए आर्टिकल 275 के अंदर, अनुच्छेद 275 में मौजूद है। वह कॉन्स्टिटयूशन के अंदर पाँचवी और छठवी सूची में। अभी पैसे की बात आप लोगों ने की। पंचायत एक्सटेशन टू शेडयूल्ड एरिया एक्ट 1996। आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट किया। ग्रामसभाओं को, आप लोगों को पैसे की तरफ, ग्रामपंचायत की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 50 प्रतिशत प्राब्लेम साल्व हो जायेंगे। आदिवासी समाज के और कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों को, ग्रामसभाओं को ये पावर दिया कि ग्रामसभा डिसाइड करेगी की मायनर फॉरेस्ट प्रोडुस्ट, एण्ड मायन मिनरल्स – लाख, महुंआ, तेंदुपत्ता, खनिज और भी बहुत सारी चीजें जो जंगलों से निकलती हैं, ये चीजों पर अगर किसी का अधिकार है। जहाँ पर पैसा, 1996 लागू है, वहाँ पर शेडयूल्ड एरियॉज है वहाँ पर, ग्राम सभा को अधिकार दिया। वहाँ पर ओनरशिप (मालकीयत) है आदिवासियों की।

छठवीं सूची में कोई मार्केट की कंपनी आकर सामान बेच सकती है। वह चाहे तो उस पर टैक्स भी लगा सकती है। मायनर और मिनरल प्रोडयूस्ड अगर है। मायनर, मिनरल प्रोडयूस्ट यानि जो स्टॅटेजिक मिनरल्स नहीं है। जैसे यूरेनियम, प्लोटोनियम, आयर्न, बाक्साइड, टंगस्टन आदि स्टॅटेजिक मिनरल्स हो है। उसको छोड़कर जो बाकी खनिज संपत्ति होती है उस पर आदिवासियों का अधिकार है। वहां आदिवासियों के को–ऑपरिटिव्हज को ही उसका प्राफिट मिलना चाहिए और सुप्रिम कोर्ट ने 1997 में डायरेक्शन भी दिया। समन्ता वर्सेस आंध्रप्रदेश एण्ड अदर्स 1997, के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में स्पष्ट रूप से वहां के आदिवासियों के जमीन में जो खनिज संपदा है यह खनिज संपदा पर आदिवासियों की मालकीयत है। ऐसा निर्णय दिया क्योंकि आदिवासी की जमिन गैर आदिवासी को नहीं दी जा सकती, वह सरकार को भी अगर लेना है। पहला राइटस् जो है उसका, ट्रायबल का, उसके ऊपर और इसलिये उसका प्राफिट जो है वह आदिवासी को मिलना चाहिए। ओ बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना 1997 में।

तो बाबासाहब आंबेडकर ने पाँचवी सूची और छठवीं सूची में जब कॉस्टियूशन में लिख दिया कि जिस जमीन पर आदिवासी रहते हैं। उस जमीन को गैर आदिवासी को नहीं दे सकते। उस जमीन में जो कुछ है। उस जमीन की खनिज संपदा पर आदिवासियों का अधिकार है तो उसके बाद दिक्कत स्टार्ट हुई देश के अंदर में। दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई? 1931 के बाद स्टार्ट हुई 1931 में जैसे भटके–विमुक्तों की गलती के वजह से हट्टन ने उनको 'डाऊटफूल क्लासिफिकेशन' में घोषित किया। जब कॉस्टिटयूशन ऑफ इंडिया बना तो कॉन्स्टिटयूशन में फंडामेंटल राईटस का वायलेशन होता अगर क्रिमिनल करके घोषित किया होता, तो उनको डिनोटिफाइड विमुक्त तो किया, नॉन क्रिमीनल तो बनाया लेकिन उनको 'शेडयूल्ड ट्राइब्ज' के लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू ने नहीं डाला। यही से यह बात स्टार्ट होती है।

1994 के इंडिजिनियस पीपल्स के मानव अधिकारों को कानून स्वरूप आने के बाद भारत के जो तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग हैं। उन लोगों के आगे दूसरी बड़ी समस्या खड़ी हो गयी? क्या समस्या खड़ी हो गई? समस्या ये खड़ी हो गई कि जिस बात को संयुक्त राष्ट्र (UN) के पहले। अभी आप देखिए, दुनिया के विद्वानों को, संविधान के स्कॉलर्स को, संविधान के विद्वानों को, 1994 में ये लगा कि, आदिवासी मूलनिवासी (indigenous) है। उनके अधिकार सेक्युअर्ड होना चाहिए। लेकिन डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने 1947 में इस बात को संविधान में लिख दिया। 50 साल पहले लिख दिया। अब ब्राह्मणवादियों को ये समस्या बड़ी हो गयी कि, भारत के संविधान में आदिवासी की, शेडयूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट है। पांचवी सूची है। छठवीं सूची है और अगर ये आदिवासी इंडिजिनयस पीपल है, जो इस देश के मूलनिवासी है। अगर संयुक्त राष्ट्र में इसको मान्यता मिल जाती है तो भारतीय संविधान के साथ–साथ ग्लोबल इकानामी का जो

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

डेवलपमेन्ट जो हो रहा है, भूमंडलीकरण में जो अर्थव्यवस्था निर्माण हो रही है। उसमें भी सोशियल राइटस, एण्ड एकानामिकल राइटस, ये आदिवासियों को स्पेशली देने पड़ेंगे। संविधान में ओ मूलनिवासी करके रेकगनाइज हो गये, तो आप इसको अगर बारीकी से देखेंगे तो जो आठ करोड़ आदिवासी में है, अब 11 करोड़ हो जायेंगे।

संविधान के वजह से आदिवासी की जमीन कोई और नहीं ले सकते। आदिवासी की संस्कृति को मान्यता है। तो फिर रास्ता निकाला, क्या रास्ता निकाला? ब्राह्मणवादियों ने षडयंत्र किया और रास्ता यह निकाला की अब इन्हें 'गैर–आदिवासी' बना दिया जायें। अगर ये गैर–आदिवासी बन जाते हैं तो फिर कोई प्राब्लेम नहीं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि संविधान का प्रोटेक्शन है पांचवी सूची का प्रोटेक्शन है। छठवी सूची प्रोटेक्शन है। अनुच्छेद 275 का प्रोटेक्शन है। ये संरक्षण जो है इनके वजह से हम उनको टच नहीं कर पायेंगे। जो जिस आधार पर उनको अधिकार मिले उस आधार को बदल दो। क्या आधार होते है? आदिवासी बनने के दो ही आधार होते हैं। एक होता है विशेष संस्कृति और दूसरा होता है टेरिटोरियल पजेशन। दुनियाभर में जो जो आदिवासी बनते है उनको मान्यता मिलती है। भारत में भी जो मान्यता मिली ओ दो आधार पर मिली। नहीं तो Hill Tribes and Forest Tribes की लिस्ट नहीं होती हट्टन के 1931 के सेन्सस में। टेरिटोरियल पजेशन है ओ हिल ड्राइब अण्ड फारेस्ट ट्राइब और कुछ लोगों के पास हिल और फॉरेस्ट नहीं था तो ओ भटकते रहें, इधर उधर इसलिए उधर से भी गये आए 'डाऊटफुल क्लासिफिकेशन' में आ गये। तो 'डिस्टींक्ट कल्चर एण्ड टेरिटोरिअल पजेशन' यानि हमारी संस्कृति बिल्कुल भिन्न है आदिवासी की संस्कृति ये भिन्न है। ओ हिन्दू नहीं, ये बात भारत में ही नहीं पूरी दुनिया मे क्लीयर हुई और दूसरा जिस जमीन पर ओ हजारों साल से रह रहे हैं उसका जमीन के ऊपर का अधिकार उसे टेरिटोरिअल पजेशन बोला जाता है। अब ये दो चीजें अगर खत्म कर दी जाये तो आदिवासी, गैर–आदिवासी बन जायेंगे, तो क्या किया? संस्कृति को कैसे खत्म किया जाये? तो आरएसएस के लोगों ने 'वनवासी कल्याण आश्रम' के माध्यम से और बाकी कंपनी जो है उनकी उसके माध्यम से उनको 'वनवासी' कहना चालू किया। हिन्दू बनाना चालू किया।

## भारत के आदिवासी हिन्दू नहीं है

भारत के न्यायपालिका न्यायालयों के न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि भारत के आदिवासी हिन्दू नहीं है। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट मे विद्वान न्यायाधीश श्री. एस. पी. सेन ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि भारत के आदिवासी हिन्दू नहीं हैं वे हिन्दूओं से भिन्न जंगलों में रहने वाले लावारिस की भांति हैं। वे इस भूमि के शासक थे और आर्यों ने आकर उन्हें निर्वासित कर दिया उनकी सामाजिक व्यवस्था आर्यों से भिन्न हैं। आदिवासी आर्यों की वर्णव्यवस्था के किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र किसी में भी नहीं हैं। शारदा एक्ट 1928 और हिन्दू विवाह अधिनियम उन पर लागू नहीं होते है : सम्पत्ति का बंटवारा इन आदिवासियों में किसी कानून के अनुसार न होकर उनकी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार होता है। इनमें बहु पत्नी प्रथा है और सभी पत्नियों का भाग बराबर होता है। आदिवासियों के सभी संस्कार जन्म से मृत्यु तक हिंदुओं से भिन्न हैं।

दूसरा निर्णय इसी न्यायालय के न्यायाधीश एस.एन. मिश्रा में न. मु. 188/72 कुलसियाबाई बनाम उसका पति में दिया और यह निर्धारित किया कि कुलसिया और उसका पति हिन्दू की श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिए उनके लिए हिन्दू कानून लागू नहीं होगा।

इस प्रकार कानूनी दृष्टि से भी भारत के आदिवासी हिन्दू नहीं है।

## बिरसा हिन्दू नहीं था।

आज कट्टरपंथी लोग आदिवासी आन्दोलन की धार कुन्द करने के लिए यह कुटिल प्रचार कर रहे हैं कि बिरसा मुण्डा हिन्दू धर्म के वैष्णव मत का अनुयायी था। ध्यान रहे ये वही शातिर लोग हैं जो आदिवासियों को आदिवासी कहने से भी डरते हैं और उन्हें वनवासी की गन्दी गाली देते हैं। दलितों के लिए हरिजन जैसे गाली, आदिवासी के लिए बनवासी भी गाली। इन्दिरा गांधीजी ने इस गाली को और भी अधिक स्पष्ट करके दिया। उन्होंने कहा– गिरीजन शास्त्रों में दोनों ही हरामी, सभ्य भाषा में वर्णसंकर। आदिवासी हों या दलित कभी भी उनके साथ 'समता' का नारा नहीं लगाता बल्कि 'समरस्ता' शब्द देता है। शब्दों के इस चक्रव्यूह में अनपढ़ जनता सदियों से उलझाई गई है। यह सच है कि बिरसा ने बंदगांव में रह वहां के जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी आनंद पांडे के पास हिन्दू धर्म व वैष्णव धर्म की अधिक बातें सुनीं। यदि इसी घटना को आधार मानकर कोई यह प्रचारित करे की बिरसा हिन्दू धर्म का अनुयायी था और हिन्दुओं की रक्षा के लिए ही उसके ईसाईयों की खिलाफत की थी तो इससे बड़ा सफेद झूठ कोई दूसरा नहीं हो सकता। सच तो यह है आदिवासियों को ऐसी जिल्लत की जिन्दगी तक पहुंचाने वाले हिन्दू ही हैं। जिन्हें घृणा से वे दिकू कहते हैं। इन्हीं लोगों ने मुण्डाओं को उनकी जमीनों से बेदखल किया। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा। उनकी बहन बेटियों की अस्मत लूटी। उनके पुरखों को बंधुआ बनाकर रखा। अपनी अस्मिता की इतनी बड़ी कीमत उन्होने गैर हिन्दू होने के जुर्म में ही चुकाई। आज के आदिवासी एकलव्य की तरह सीधे नहीं हैं। वे इस कुप्रचार को कतई स्वीकार नहीं करते कि बिरसा हिन्दू धर्म का अनुयायी था। यदि ऐसी बात होती तो बिरसा अपने अनुयायियों सहित वैष्णव धर्म में जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने आदि मुण्डा धर्म की नींव रखी। जो मुण्डा हिन्दू धर्म की दलदल में धंसे हुए थे वे भी उस गन्दे कीचड़ से निकल कर बिरसा के धर्म से जुड़े। मुण्डाओं का आदिधर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध होने के जुर्म में ही उन्हें समतल इलाकों से बीहड़ वनों में हिन्दुओं ने खदेड़ा था। मुण्डाओं के रीति रिवाजों में बौद्ध धर्म खोजा जा सकता है।

### भारत के आदिवासी हिन्दू नहीं तो कौन?

निश्चित रूप से यह पूछा जा सकता है कि भारत आदिवासी हिन्दू नहीं तो कौन हैं? यदि आदिवासी हिन्दू मुसलमान, सिक्ख, ईसाई नहीं तो कौन है। इन आदिवासियों का धर्म क्या है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वास्तविकता ये है कि भारत के मूलनिवासियों का धर्म कुछ नहीं बल्कि प्रकृति पूजा हैं प्रकृति पूजा स्वयं में एक धर्म है। यह सच है कि भारतीय संवधिान में इसे धर्म की परिभाषा उच्च वर्गों ने नहीं दी है किन्तु अगर हम इतिहास की गहराई में जाएं तो हमें ज्ञात होगा कि महामानव गौतम बुद्ध ने यह प्रकृति धर्म को ही मानवतावादी धर्म माना है और ब्राह्मणवादी धर्म से विरत रहने को कहा है। यही वह धर्म है जो आदिवासियों का धर्म मानव धर्म होना चाहिए जो पाखझड, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, देवतावाद, पुर्नजन्म, भाग्यवाद से रहित मानववाद पर आधारित हो। मानववाद का मार्ग ही आदिवासियों के लिए सच्चा मार्ग है जो धर्म मानवता से रहित है वे धर्म हो ही नहीं सकते हैं। बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा मार्ग है जो समता, समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व पर आधारित हैं गोंडी धर्म और आदि धर्म मानवतावादी धर्म के ही भिन्न–भिन्न स्वरूप है इसलिए मानवतावादी धर्म ही आदिवासियों का मूल धर्म है। आदिवासियों का धर्म न हिंदू धर्म है और न कोई अन्य ईश्वरवादी धर्म।

### मुण्डा पूर्वकाल के बौद्ध

मुण्डा शब्द पंजाबी भाषा में 'लड़के' के लिए आता है। मजेदार बात यह है कि मुण्डारी भाषा में मुण्डा शब्द का अर्थ है। 'मानव'। वास्तव में मुण्डा शब्द की व्युत्पत्ति मुण्ड से हुई प्रतीत होती है। पालि भाषा में इसका अर्थ–बाल रहित सिर वाला व्यक्ति है। अतः मुण्डारी भाषा में मुण्डा का व्यापक अर्थ केवल मानव नहीं बल्कि बाल रहित (मुण्डे हुए) सिर वाला मानव है। ये मुण्डे हुए सिर वाले भगवान बुद्ध के धर्म को मानने, उसका प्रचार–प्रसार करने वाले बौद्ध ही थे। ब्राह्मणों ने मुण्डा शब्द को अपमानित तरीके से 'मुण्डक' कहना शुरू कर दिया।

त्रिपिटक में वर्णन है कि बुद्ध एक बार श्रावस्ती में भिक्खाटन कर रहे थे। वे अग्नि भारद्वाज ब्राह्मण के घर को चले। उसने उन्हें दूर से ही आते देख कहा– 'वहीं मुण्डक! वहीं श्रामण' वहीं वृषल (नीच) ठहरो!' इसका अर्थ यह हुआ कि उस युग में मुण्डक शब्द उतना ही अपमानजनक बना दिया गया था जितना कि आज का गंजा या टकला। पालि, पंजाबी, मुण्डारी के 'मुण्डक' का अर्थ है– पापी मानव। यहां मुण्डा के साथ अक प्रत्यय है अक का अर्थ संस्कृत में है पापी या पाप। यह अर्थ परिवर्तन ब्राह्मणों की बौद्धों के साथ द्वेष भावना का प्रतिफल है। यही नहीं मुण्डाओं की धर्म पद्धति, संस्कारों, रिवाजों पर भी बौद्ध धर्म की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। मुण्डाओं की आचार–संहिता बुद्ध के बताए पांच निवरण ही है। उनकी सरना पूजा सरण का अपभ्रंश है। बुद्ध वन्दना की शुरूआत ही 'त्रिशरण'से होती है।

पीछे हमने देखा कि आदिवासी मुण्डा समाज सिन्धुघाटी की सभ्यता का वारिस है अतः वह पूर्व बुद्धों के के काल से ही बुद्धिष्ट हुआ। बिरसा मुण्डा ने अपना आन्दोलन शुरू करने से पहले जिन धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी वे सभी स्थल भले ही आज हिन्दुओं के कब्जे में है। बल्कि उनका इतिहास बताता है कि वे बौद्ध स्थल थे। हिन्दुओं ने उन पर कब्जा करके अपने देवताओं को स्थापित किया हुआ है। बिरसा ने भी कहा था कि ये स्थल हमारे पुरखों के हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मुण्डा पूर्व काल के बौद्ध हैं।

### आदिवासीयों के मुक्तिदाता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

भारत में आर्यो के आक्रमण के बाद पाँच हजार साल तक आदिवासी समाज को हिंदू असभ्यता ने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने यह कहा है कि हिंदू धर्म की आत्मा असमानता है और हिंदूधर्म के वजह से ही देश के आदिवासी एवं दलित निर्माण हुए है (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग ॲण्ड स्पिचेस, खण्ड 3, पृ. 1 से 92, प्रकाशक–महाराष्ट्र सरकार) उन्होंने प्रिमिटिव ट्राईब्स, क्रिमीनल ट्राईब्स एवं अनटचेबल्स को हिंदू सभ्यता ने कुछ नहीं दिया और इसी सभ्यता की वजह से यह लोग निर्माण हुए ऐसा कहा, इसलिए उन्होंने हिंदू सभ्यता को सभ्यता मानने से नकारा है (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग ॲण्ड स्पिचेस, खण्ड–5, पृ. 136, 137, प्रकाशक–महाराष्ट्र सरकार, खण्ड 1, पृ. 220, खण्ड 15, पृ. 917, 918) 5 हजार साल के ऐसे हिंदू अधर्म और असभ्यता ने आदिवासी समाज को 'दस्यू' मलिच्छ बनाकर रखा, जिसके संदर्भ एत्रेय ब्राह्मण, सतपत ब्राह्मण, रिगवेद, विष्णू धर्मशास्त्र, विष्णूरूपा, वशिष्ट धर्मशास्त्र, मनुस्मृती, पाराशर स्मृती इ. (संदर्भ : हिस्ट्र ऑफ दी धर्मशास्त्रा, ले. पी.वी.काने, खण्ड 2, भाग 1, प्रकाशक – भंडारकर ओरिएंटल इस्टिटयूट, पुना)

5 हजार साल के अपमान और उत्पीड़न से, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 'भारत का संविधान' बनाकर आदिवासियों को मुक्त किया है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने 23 आंक्टो 1928 में सर्वप्रथम 'सायमन कमिशन' के समक्ष यह बात कही की आदिवासीयों को वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। उसी तरह ऑक्टो. 1933 में जे. एच. हट्टन के समक्ष उन्होंने आदिवासीयों को संविधान में लाकर विशेष संरक्षण होने चाहिये ऐसा मत व्यक्त किया। (संदर्भ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग ॲण्ड स्पिचेस, खण्ड 2, पृ. 471–472, पृ. 736–742 प्रकाशक महाराष्ट्र सरकार) बाबासाहब के इन प्रयासों से ही 1936 में सर्वप्रथम शेडयूल्ड ट्राईब की सूची, 1935 के गव्हर्मेन्ट ऑफ इंडिया ॲक्ट के तहत बनी। उसी तरह डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान की कलम 15(4), 16(4), 46, 335, 338, 342 के तहत शिक्षा और नौकरी में आरक्षण और 330, 332 के तहत राजनितिक आरक्षण का सरंक्षण दिया है।

संविधान की 5वी और 6वी सुची के तहत आदिवासीयों को 'स्वयंम शासन एवं मालकियत का अधिकार' भी प्रदान किया है और अनुच्छेद 275 के तहत बजेट में आर्थिक प्रावधान का प्रबंध भी किया है।

संक्षिप्त में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने आदिवासीयों को 'भारतीय संविधान' में आदिवासी पहचान और संस्कृति के आधार पर संविधानिक अधिकार एवं संरक्षण सुनिश्चित किया है। यह इसके पूर्व भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतीकारी घटना है, जो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के प्रयासों से ही हो पायी है ना के गांधी, गोलवलकर के। हम आदिवासियों को यह बात याद रखनी चाहिए।

**साभार :**
**भारत के आदिवासी हिन्दू नहीं है।**
**पेज संख्या 5 से 24 तक**
**भारत वाघमारे**

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

# राष्ट्र निर्माण में विभूतियों का योगदान

चमार सिन्धु घाटी की सभ्यता का प्रमुख शिल्पी है। उसने राष्ट्र की श्री वृद्धि के लिए जी तोड़ मेहनत की है और सबसे बड़ी बात है कि उसने देश के साथ कभी दगाबाजी नहीं, जयचन्दों, अमीरचन्दों और मीरजाफरों से उसका दूर-दूर का भी नाता नहीं रहा। वह यहां का मूलनिवासी है। इसके अपने राज में सबको फलने-फूलने का मौका मिला। यह बहुत परिश्रमी है, सीधा है और दो वक्त की रोटी के अलावा इसने ज्यादा सुख-सुविधाओं के लिए हाथ-पैर नहीं मारे। राजसत्ता पर कब्जा करने का तो इसने विचार ही नहीं किया। लेकिन 'राजनीति सब तालों की चाबी है' डॉ. अम्बेडकर के इस आह्वान का प्रतिफल है। इसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर ही यहाँ के राजाओं-महाराओं ने जी भरकर के अय्यासी की और विदेशियों को भी धन के भंडारों को लूटने का अवसर मिला। यह दुर्भाग्य है इस देश का, चमार को विद्या पढ़ने का ही नहीं, बल्कि दुश्मन के विरुद्ध लड़ने का भी अवसर नहीं मिला।

इस बात में दो राय नहीं है कि यदि सोचने की स्वाधीनता और काम में आगे बढ़ने के अवसर एवं मस्तिष्क को विकसित करने के साधन सुलभ हों, तो दिमागी ताकत में चमार ब्राह्मण से आगे निकल सकता है। चमारों के सम्बन्ध में एक विचित और उल्लेखनीय बात यह सामने आई है कि उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल के ब्राह्मणों और चमारों के मस्तिष्क का वजन लगभग बराबर है।

सेंसस ऑफ इंडिया, 1931 की भूमिका में लिखा है कि भारतीय मस्तिष्कमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणें के मस्तिष्क का औसत वजन 73.1 औंस, बंगाल के आसपास के ब्राह्मणों का वजन 79.6 औंस, उत्तर प्रदेश के चमारों के मस्तिष्क का वजन 72.8 औंस तथा बिहार के चमारों के मस्तिष्क का औसत वजन 79 औंस है। ऐसा ही मस्तिष्क संतुलन अन्य दलित जातियों का भी पाया जाता है।

नेतत्व शास्त्रियों के इस मस्तिष्कमान की रिपोर्ट से यह सिद्ध हो जाता है कि मस्तिष्क शक्ति में भारतीय चमार ब्राह्मण के बराबर ही नहीं, बल्कि बिहार की जलवायु में ब्राह्मण से बढ़ा हुआ है। भूतकाल में संत शिरोमणि गुरु रविदास तथा बीसवीं शताब्दी में बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर और श्री जगजीवन राम इस बात के जीते-जागते उदाहरण हैं कि मौका मिलने पर हजारों-हजारों सालों तक दबाकर-कुचलकर मुर्दा और पशु तुल्य बनाई गई जातियों के मस्तिष्क का भी श्लाघनीय विकास हो जाता है। एक, आज के पांच सौ साल पहले काशी में जन्मा अध्यात्म जगत का पंथ-प्रवर्त्तक महान संत है, दूसरा वकीलों को कानून पढ़ाने वाले महाविद्यालय का आचार्य, कानून का विशेषज्ञ एवं भारतीय संविधान का निर्माता है और तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हाईकमान का प्रमुख नेता, सफलतम मंत्री ही नहीं, उप-प्रधानमंत्री तक रहा है। इसके अतिरिक्त अनेकों चमार विद्वान हैं, जिनकी प्रतिभा, समझ और सूझबूझ किसी से कम नहीं है। दादा साहब गायकवाड़, बैरिस्टर खोब्रागढ़े, श्री योगेन्द्र नाथ मंडल, श्री पी. एन. राजभोज, श्री शिव तरकर काजरोलकर, श्री वी. पी. मौर्य, श्री प्यारे लाल कुरील, डा. सूरजभान, पूर्व राज्यपाल श्री माताप्रसाद, श्रीमती मीरा कुमार, श्री सुशील कुमार शिन्दे, कु. मायावती, श्री मंगूराम,श्री अछूतानंद, श्री महावीर प्रसाद, सेठ किशन दास, बाबू परमानन्द, श्री माणकचंद्र आदि की प्रतिभा को सभी जानते हैं।

चमार के साथ-साथ अन्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में भी पर्याप्त बौद्धिक क्षमता है। यदि कमी है तो यही कि उन्हें पनपने व आगे बढ़ने के अनुकूल अवसर और समुचित सुविधा नहीं मिलती। यह ऐसी बाधा है, जिसके कारण राष्ट्र संसार में विकसित राष्ट्रों के बराबर शक्तिशाली नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर सत्ता को अपनी बपौती समझने वाले 20 प्रतिशत लोग 80 प्रतिशत बहुजन समाज को अपना अनुगामी और पूर्व की भांति दास बनाये रखने में ही सजग और सक्रिय दिखाई देते हैं और ब्राह्मण अपनी उच्चता, गुरूपन तथा पूजनीयता को कायम रखने के लिए बराबर प्रयन्तशील हैं। अतीत से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक चमार विभुतियों की राष्ट्र निर्माण में प्रतिबद्धता को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, चाहे सम्पन्न समाज अब और कितना भी प्रयास क्यों न कर ले।

**गुरु रविदास**

परम संत शिरोमणी गुरु रविदास जी उच्च कोटि के संत होने के साथ-साथ समाज-सुधारक और समाजवादी चिंतक भी थे। इन्होंने श्रम की महत्ता को प्रतिष्ठिता किया। नाभादास कृत भक्तमाल की टीका में लिखा है कि जाति और धर्म का अभिमान छोड़कर लोग इनके पदरज की वन्दना करते थे। इनका जन्म संवत् 1433 में माघ शुक्ल पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम राहु अथवा रघु और माता का नाम करमा देवी था। इनकी पत्नी का नाम लोणा था, जिन्हें तांत्रिक एवं चमत्कारों की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनके नाम के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता।

गुरु रविदास जी का जन्म-स्थान पहले काशी के पास माडुर ग्राम माना जाता था, परन्तु नई खोज के अनुसार बनारस विश्वविद्यालय के पास छोटी-सी बस्ती सीर गोवर्धनपुर है, जहाँ पर डेरा सचखण्ड बल्ला, जालंधर (पंजाब) के महात्मा श्रवणदास की प्रेरणा से गुरू रविदास जी का विशाल मंदिर बनवाया गया है यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें देश-विदेश के लाखों गुरु भक्त शामिल होते हैं। इनकी वाणी पाखंड खण्डिनी और भम्र विनाशिनी हैं। इन्होंने ऐसे राज की कामना की है, जिसमें कोई भूखा न रहे और छोटे-बड़े का भेदभाव सभी मिल-जुलकर रहे। उन्होंने अपनी वाणी में कहा भी है -

''ऐसा चाहूँ राज मैं, मिलै सबन को अन्न।
छोटे-बड़ों सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न।''

इनके 40 पद सिक्खों के पवित्र ग्रंथ-गुरु साहब में एकत्रित हैं। भारत के करोड़ों लोग इन्हें अपना आराध्य देवता प्रेरणा-स्त्रोत मानते हैं। इन्होंने 151 वर्ष की आयु में विक्रमी संवत् 1584 में परमगति पाई। इनके बारे में आचार्य रजनीश ने कहा है कि ''रैदास भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुवतारा हैं, इसलिए उनके वचनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रैदास इसलिए भी स्मरणीय हैं कि उन्होंने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है।'' मन चंगा तो कठौती में गंगा'' उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, जिससे उन्होंने हिन्दुओं की परम पवित्र गंगा को चमड़ा भिगोने की कुंडी में लाकर गंगा में नहाने जाने की धारणा को ही नकार दिया है।

सन्त सरवण दास जी -

डेरा सच्चखण्ड बल्ला, जालंधर (पंजाब) अपनी धार्मिकता, सामाजिक गतिविधियों के लिए विश्व में विख्यात हो चुका है। यह रविदास मिशन के प्रचार का भारत में प्रमुख केन्द्र है, जहाँ विशाल मंदिर और सम्मेलन कक्ष ही नहीं, आँखों का बहुत बड़ा अस्पताल भी है। यहाँ गुरु रविदास जी के मंदिरों तथा उनके नाम से बनने वाले शिक्षा संस्थानों को आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। डेरा सच्चाखण्ड बल्ला की स्थापना महान संत सरवणदास जी ने ही की थी। धर्म-प्रचार और समाज-सुधार ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। इनके पिता का नाम बाबा पिपल दास था। 100 वर्ष की आयु में 11 जून, 1972 को इनका स्वर्गवास हुआ।

**बाबू जगजीवन राम-**

भारत के ऐसे महान राजनेता रहे हैं बाबू जगजीवन राम, जिनकी प्रशासनिक दक्षता का लोहा इनके विरोधी भी मानते थे। ये देश की हरित क्रांति के सूत्रधार थे और 1971 की भारत-पाक लड़ाई में पाकिस्तान को करारी मात देने एवं बंगलादेश के उदय में रक्षा मंत्री के नाते भारतीय सैनिकों में अपूर्व जोश भरने के कारण आपकी अहम भूमिका थी। रेलवे, कृषि, श्रम तथा रक्षा आदि जो भी मंत्रालय का दायित्व इन्हें मिला, उनमें आपने नई जान फूंकी और नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा कराया।

बाबू जी का जन्म 5 अप्रैल, 1908 को भोजपुर, बिहार के गांव चंदवा में हुआ था। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. पास किया और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. किया। आप शुरू से ही मेधावी छात्र रहे। आपने 1930 ई. में स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई और जेल गए। आप 1936 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य चुने गए तथा 1936 से 1946 तक अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष रहे।

आप 1946 में श्रम मंत्री बने। आपने सन् 1977 में हेमवती नन्दन बहुगुणा और नन्दनी सत्पथी के साथ मिलकर कांग्रेस छोड़ दी और नई पार्टी सी.एफ.डी. (लोक तान्त्रिक कांग्रेस) की स्थापना की, जिसका 1979 में जनता पार्टी में विलय हो गया। इन्हें उप-प्रधानमंत्री, भारत सरकार बनने का भी गौरव मिला। ये 1940 से 1977 तक कांग्रेस में रहे। 1975 में कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। ये 1952 से 1986 तक सासाराम से आठ बार लोकसभा सांसद चुने जाते रहे। 6 जुलाई, 1986 को इनका स्वर्गवास हो गया।

**श्री बी. शंकरानन्द** -

दलितों एवं पिछड़ों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस ख्याति प्राप्त समाजसेवी एवं राजनेता का जन्म 19 अक्टूबर, 1922 को हुआ था। ये 1969 से 1971 तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे। लोकसभा के लिए 1967, 1971, 1977, 1980, 1984 तथा 1989 में चुने गए। इन्हें 1971 से 1977 तक लोकसभा कार्य मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया। फिर इन्होंने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री तथा परिवार नियोजन मंत्री के दायित्व का भी निर्वहन किया।

**श्री वी.पी. मौर्य** -

अपने समय के कानूनविदों में बुद्ध मौर्य की गिनती होती थी। ये बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के पक्के अनुयायी और आर.पी.आई. के प्रमुख नेता के रूप में माने जाते थे। उन्होंने एल.एल.बी. करने वालों को पढ़ाने का कार्य भी किया। कांग्रेस में आने के बाद इन्होंने पर्यटन मंत्री एवं कृषि मंत्री, भारत सरकार के दायित्व को निभाया। जीवन के अन्तिम दिनों में भारतीय जनता पार्टी में आने पर वैचारिक विचलन के कारण इनकी दलित हितैषी साख को धक्का लगा। ये देश के माने हुए वक्ता थे। इन्होंने कांग्रेस के महासचिव का पद भी सुशोभित किया। ये अलीगढ़-मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी जरार अहमद को हराकर आर.पी.आई. के टिकट पर लोकसभा सदस्य बने थे। कांग्रेस छोड़कर बी.जे.पी. में जाने की ये खुद भी जीवन की सबसे भूल मानते रहे।

मान्यवर कांशीराम -

ऐसे महानायक रहे, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा ही मोड़ दी और डॉ. अम्बेडकर के कारवाँ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की। दलितों-पिछड़ों को उनका खोया सम्मान दिलाने में इन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

इन्होंने 'बहुजन-हिताय-बहुजन सुखाय' की नई संकल्पना दी, जिसे कु. मायावती, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश साकार रूप देने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे महान राजनेता और क्रांतिकारी चिन्तक का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले के खासवपुर में हुआ था। ये रामदासिया चमार परिवार से संबंधित थे। इन्होंने 1956 में रोपड़ से बी.एस.सी. पास की और 1957 ई. में 'सर्वे ऑफ इंडिया' में नौक की। इन्होंने राजनीतिक जीवन आर.पी.आई. से शुरू किया। 6 दिसम्बर, 1973 की बामसेफ नामक कर्मचारी संगठन की स्थापना की, फिर बामसेफ के माध्यम से 6 दिसम्बर, 1981 को डी.एस.फोर (दलित शोषित समाज संघर्ष समिति) बनाई।

इन्होंने देश के वर्ग चरित्र को समझने के लिए लम्बी साइकिल यात्रा की और आरक्षण, समता तथा बन्धुत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जगह-जगह सेमिनार किए। 14 अप्रैल, 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और अपने विचारों को 'चमचा युग' एवं 'बामसेफ' नामक दो पुस्तकों में लिपिबद्ध किया। ये पंजाब व उत्तर प्रदेश से दो बार लोकसभा सदस्य चुने गए और बाद में राज्यसभा सदस्य भी रहे। इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही 'बहुजन समाज पार्टी' राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी है।

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

**कु. मायावती** –

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कु. मायावती ने चौथी बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है। ये 1989 में बिजनौर से लोक सभा सदस्य चुनी गई थी। ये डॉ. अम्बेडकर द्वारा दिखाई राह पर चलने वाले मान्यवर कांशी राम के मिशन को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। कु. मायावती में डॉ. अम्बेडकर की विधि विशेषज्ञता, बाबू जगजीवन राम की प्रशासनिक दक्षता और मान्यवर कांशी राम की राजनीतिक सूझबूझ विद्यमान है।

**स्वामी रामानन्द शास्त्री** –

दलित कल्याण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वामी रामानन्द शास्त्री का नाम भी बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। इन्होंने शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भी कई दशकों तक कार्य किया। श्री शास्त्री जी, पूज्य स्वामी श्री 108 सत्यानन्द जी महाराज के शिष्य थे। सन् 1955 में ये संसद सदस्य निर्वाचित हुए थे। स्वामी जी भारतीय रविदास सेवा संघ, रविदास आश्रम ज्वालापुर के प्रधान भी रहे। इनकी प्रेरणा से खोला गया आश्रम विद्यालय एवं पुस्तकालय शिक्षा प्रसार में अभी भी संलग्न है। इन्होंने 'रविदास एवं उनका काव्य' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी।

**चौ. गिरधारी लाल** –

उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग की सेवा में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले चौधरी गिरधारी लाल बिजनौर, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। जिस समय डॉ. सम्पूर्णानन्द उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय ये आबकारी एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री उत्तर प्रदेश थे।

**श्री पी. एन. राजभोज** –

डॉ. अम्बेडकर के निकट सहयोगी श्री पी.एन. राजभोज ने अपना सारा जीवन दलित–शोषितों के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने लगातार चौदह वर्षों तक (1942–1955 ई.) डॉ. अम्बेडकर के साथ ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के महासचिव के रूप में कार्य किया। ये 1952 में 1957 तक लोकसभा के सदस्य रहे तथा 1957 से 1962 तक राज्यसभा एवं 6 वर्षों तक महाराष्ट्र के विधान परिषद सदस्य रहे।

संत बाबा गज्जन शाह –

ये एक ऐसे संत हुए हैं, जिनके शिष्यों में हिन्दू–सिक्ख और रविदासी तो क्या, मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में थे। इन्हें लोग दिवाना कहते थे, क्योंकि हर समय नाम की मस्ती में डूबे रहते थे। इनके पिता जी दिल्ली के रहने वाले थे और सिक्खों के गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के अनन्य भक्त थे, इनमें गुरु जी के प्रति निष्ठा बहुत गहरी थी, जिससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने 22000 बीघे जमीन का ग्राम पंडोरी (बरनाला, जिला–संगरूर) कर्म सिंह के जन्म की खुशी में इन्हें दान में दिया था। इनके चार पुत्र हुए, गुलाबदास, रामदास, साहिबदास और गंगादास, जो प्रसिद्ध संत एवं विद्वानों में गिने जाते थे।

**स्वामी अछूतानन्द** –

बीसवीं सदी के समाज–सुधारकों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। आप पहले आर्य समाज प्रभावित थे और आठ भाषाओं का ज्ञान रखते थे। आप में यह विलक्षण प्रतिभा थी कि एक ही समय में दोनों हाथों से अलग–अलग भाषा में लिख सकते थे। आपके बुद्धि कौशल से प्रभावित होकर आर्य समाजियों ने लम्बे समय तक आर्य समाज के विभिन्न पदों पर आपको कार्य करने का अवसर प्रदान किया।

इनका जन्म 6 मई, 1879 को ग्राम–सौरिख, तहसील– छिबरामऊ, जिला–फर्रूखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम मोतीलाल तथा माता का नाम रामप्यारी देवी था। आपने दलित समाज के लगभग 18 विशाल सम्मेलन अलग–अलग नगरों में किए। आपने साइमन कमीशन के सामने 1928 में दलितों की स्थिति को बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा था। आपका निधन 22 जुलाई, 1933 को हुआ और आपकी समाधि कानपुर झाबर ईदगाह में बनी हुई है।

**श्रीमती मीरा कुमार** –

भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार भारतीय विदेश सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर राजनीति में आयी। आप भारत के महान नेता बाबू जगजीवन राम की सुयोग्य पुत्री हैं और आप राजनीतिक विरासत को सुचारू रूप से संभाल रही है। आप फिलहाल सासाराम (बिहार) से ही लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है। आप केन्द्रीय समाज कल्याण एवं आधिकारिता मंत्री का दायित्व भी भली भांति संभाल चुकी हैं। आपकी विद्वत्ता एवं प्रशासनिक दक्षता बेजोड़ है।

**श्री एस.एन. शिवतकर** –

बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनन्य सहयोगी श्री एस.एन. शिवतरकर थे और महाराष्ट्र में चमार जाति के प्रमुख नेता थे। ये ''बहिष्कृत हितकारिणी सभा'' के महासचिव रहे, जिसके नेतृत्व में महाड़ का आन्दोलन हुआ। आप मराठी भाषा के अच्छे विद्वान थे और परेल के म्यूनिसपैलिटी के मराठी विद्यालय में मुख्य अध्यापक थे। महाराष्ट्र की चमार जाति को डॉ. अम्बेडकर के आंदोलन से जोड़ने में इनकी अभूतपूर्व भूमिका रही। महाड़ आन्दोलन के अग्रणीय नेताओं में जिन पर बाद में मुकदमा चला, उनमें डॉ. अम्बेडकर के बाद एस.एन. शिवतकार भी प्रमुख रूप से थे। आप आखिरी समय तक बाबा साहब के साथ रहे।

**श्री माता प्रसाद पूर्व राज्यपाल** –

आपने कांग्रेस द्वारा प्रायोजित सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया और 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और तब से अब तक कांग्रेस से ही जुड़े हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मछली शहर के काजियाना मुहल्ले में पिता श्री जगरूप राम एवं माता श्रीमती रज्जो देवी के यहाँ 11 अक्टूबर, 1925 को हुआ। आप विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। आप राजनेता के साथ–साथ दलित साहित्यकार भी हैं और 85 वर्ष की आयु में भी सामाजिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

**पाल वलंकर** –

इनका संक्षिप्त नाम पी. बालू है इन्हें देश में चमार जाति के पहले क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त है। इन्हें योग्य होते हुए भी क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। ये डॉ. अम्बेडकर की पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे, परन्तु सन् 1932 में राजा मुंजे की पार्टी में शामिल हो गए। क्रिकेट के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रतिभा के कारण इनका अभिनन्दन भी किया गया था, जिसमें डॉ. अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका थी।

**डॉ. सूरजभान** –

सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले डॉ. सूरजभान अपने समय के प्रमुख नेताओं में रहे और चमार जाति इन पर हमेशा गर्व करती रहेगी। इन्होंने अखिल भारतीय चमार महासंघ के प्रदेश सम्मेलन बड़ौत, जिला–बागपत का उद्घाटन करते हुए खुले शब्दों में कहा था कि सबसे पहले मैं चमार हूँ, चमार महासंघ की ओर से मुझे जहाँ भी याद किया जाएगा, शत–प्रतिशत पहुँचने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से नहीं आया, बल्कि चमार के नाते आया हूँ। ये अम्बाला, हरियाणा से लोकसभा के सांसद रहे और भारतीय लोकसभा के उपाध्यक्ष जैसे गौरवशाली पद को भी इन्होंने सुशोभित किया।

सेठ किशन दास–

ये चमार समाज की ऐसी विभूति थे, जिन्होंने राजनीति के साथ–साथ आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान बनाया। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर को 1942 में शैडयूल्ड कास्ट फेडरेशन के बैनर तले चुनावी प्रचार के दौरान असुविधा न हो, उन्हें नई कार खरीदकर देने वाले यही व्यक्ति थे। ये 1937 में आदधर्मी मंडल के समर्थन में विधायक चुने गए। ये पंजाब शैड्ल्यूड कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे। आप चमड़े के थोक व्यापारी थे। धन–सम्पदा और दानी होने के साथ डॉ. अम्बेडकर के मिशन के सच्चे सिपाही थे।

**डॉ. रामजीलाल सहायक** –

बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में कुमार आश्रम, मेरठ अछूतों की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा और दूर–दूर से शिक्षा के लिए आने वाले विद्यार्थियों के आश्रय–स्थल अर्थात् छात्रावास के रूप में भी कुमार आश्रम की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसी की उपज थे गरीब के घर में पैदा होकर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के ऊँचे ओहदे तक पहुंचने वाले डॉ. रामजीलाल सहायक। इनका जन्म 2 जनवरी, 1918 को मेरठ–जिला उत्तर प्रदेश के किठौर कस्बे में हुआ था।

प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई करने में उपरान्त इन्होंने 1927 में कुमार आश्रम, मेरठ में प्रवेश किया। ये आजादी की लड़ाई के भी सच्चे सिपाही थे। इन्होंने 1930 के 'नमक आंदोलन' और 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में बढ़–चढ़कर भाग लिया। ये एक होनहार छात्र थे तथा इन्होंने 1951 में एम.ए., 1960 में पी.एच.डी. तथा 1966 में 'कबीर और गांधी के विचारों का तुलनातमक अध्ययन' नामक विषय पर शोध लिखकर डी–लिट् की उपाधि प्राप्त की। समाजसेवा और साहित्यिक क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रहित में भी आपका चिन्तन उच्च कोटि का था, जिसके कारण प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आपका सम्मान करते थे।

**मोहनलाल कुरील**–

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विश्वस्त सहयोगी कैप्टन मोहनलाल कुरील राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान से ओत–प्रोत थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने चमार रेजीमेंट में सिपाहियों को आई.एन.ए. से लड़ने के लिए सिंगापुर रवाना कर दिया, तब उस मोर्चे पर चमार रेजीमेंट के सिपाहियों ने आई.एन.एन. से लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने भारतीयों के द्वारा भारतीयों का खून बहाने का अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार कर दिया और मोहनलाल कुरील व उनके बहुत से साथी आई.एन.ए. में शामिल हो गए, वहाँ भी नेताजी ने उनका कैप्टन का ओहदा बरकरार रखा। इस देशभक्ति पूर्ण कारवाई का (जिसे अंग्रेजों ने बगावत की संज्ञा दी) खमियाजा मोहनलाल कुरील को ही नहीं चमार रेजीमेंट को भी भुगतना पड़ा। फिर यदि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की राष्ट्र के प्रति निष्ठा, किसी से कम नहीं है, तो फिर मोहनलाल कुरील भी तो उसी माला के मोती हैं, उन्होंने इस रूप में भी चमार का गौरव ही बढ़ाया है। सन् 1910 में कोहार (अब पाकिस्तान) में पैदा होने वाले मनुवाराम के सुपुत्र मोहनलाल कुरील सन् 1952 के चुनाव में सफीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और मृत्युपर्यन्त समाजसेवा में संलग्न रहे।

## क्रांतिकारी एवं स्वतन्त्रता सेनानी

देश केवल टेढ़ी–मेढ़ी रेखाओं से बना भौगोलिक नक्शा नहीं और न ही एक निश्चित सीमा से अन्तर्गत आने वाले वृक्षों, पहाड़ों, नदियों–नालों तथा भवनों वाले मात्र भू–क्षेत्र का नाम ही है। यह किसी विशेष धर्म एवं संप्रदाय के लोगों की बपौती भी नहीं है। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए, तो ज्ञान और अर्थ तन्त्र पर वर्चस्व कायम रखने वाले ऊंचे पायदान से जुड़े चन्द लोग स्वयं को प्रथम दर्जा या चौथा दर्जा अलॉट करते है, क्योंकि कागज, कलम और तिजोरी पर उनका कब्जा है।

अभी भी मन में इतना जहर भरा हुआ है, ऊँच–नीच की भावना इस कदर खून में बसी है कि इक्कीसवीं सदी में भी सवर्ण का कुत्ता यदि चमार के घर की रोटी खा लेता है, तो वह भी अछूत हो जाता है और जातीय अभिमान से ओत–प्रोत उस कुत्ते का मालिक उस चमार को अपने यहाँ रखने की बात करता है, और उसे कुत्ते की कीमत अदा करने के लिए जोर डालता है इस पर चमार अपना सिर धुनता है कि कुत्ते को रोटी देना भी परेशानी का सबक बन गया।

यह मानसिकता नीचे ही नहीं, बल्कि ऊपर से बहुत शिक्षित, सम्पन्न, सभ्य और शिष्ट लगने वाले सामान्य वर्ग के अधिकांश लोगों में विद्यमान है। तरक्की का जो भी काम होता है, उसमें वे अपनी अहम् भूमिका मानते हैं, और यदि कोई गलती या गिरावट वाली स्थिति होती है, तो उसे नीचे वालों पर थोप देते हैं। फिर आजादी की लड़ाई में चाहे चौथे पायदान के लोग कितने भी मर–खप गए हों, लेकिन वे उनको कोई श्रेय नहीं देना चाहते और आजादी को साबरमती के संत का कमाल कहते हैं, और बड़े सुरीले स्वर में गाते हैं।

''दे दो हमे आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल,
साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल।।''

यह बात हजम नहीं होती कि सात समन्दर पार से आया अंग्रेज व्यापारी जो बाद में शासक भी बन बैठा और लूट–खसोट, मार–काट, शोषण–उत्पीड़न में जिसने दुनिया के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। वह आजादी से इतने आराम से तश्तरी में सजाकर भेंट करके चला जाता?

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

उन्होंने जब देखा कि सारा देश मरने–मारने पर उतारू हो गया है, तब सम्मानपूर्वक भारतवासियों को सत्ता सौंपकर चले जाने में ही अपनी भलाई समझी।

21 साल बाद जालियावाला बाग कांड का बदला लेने वाले क्रांतिकारी ऊधम सिंह जैसे भारत मां के सपूतों ने उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। जिसके राज में सूरज नहीं छिपता था, उसी ने सबसे सुरक्षित शहर लन्दन में माइकल आडेवायर की भरी सभा में हत्या करके दुनिया में नई मिसाल कायम की थी। इस दृष्टि से ऊधम सिंह क्रांतिकारी ही नहीं स्वतन्त्रता सेनानियों की भी प्रथम पंक्ति के अधिकारी हैं। इनके अलावा भी अनेकों थे, चाहे उनके नाम आजादी की लड़ाई के इतिहास के पन्नों में न आ पाए हों, भले ही उनके जन्म दिवस पर शहीदी दिवस पर, कार्यक्रम आयोजित न किए जाते है, चाहे उनकी याद में समाधि या चार ईंटों का कोई स्थान न बना हो, लेकिन इस संघर्ष में चमार कौम का योगदान किसी से कम नहीं है।

जैसे कि अन्यत्र भी उल्लेख किए गए है, चमार के दिल में देश के प्रति प्रेम बहुत गहरा है और प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर भारत के आजाद होने की ऐतिहासिक तिथि 15 अगस्त, 1947 तक लगभग नौ दशक के लम्बे जन–संघर्ष में वह कभी पीछे नहीं रहा, उसने मुड़कर नहीं देखा कि उसके बाद में परिवार का क्या होगा?

चमार स्वतन्त्रता सेनानियों की इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है उदइया चमार का। उसने सन् 1804 में छतारी के नवाब की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ाई में सैकड़ों अंग्रेजों की मौत के घाट उतारा था। वह नवाब का पाला हुआ योद्धा था। उसने नवाब के नमक का हक और देश के प्रति वफादारी को बड़े ही शानदार ढंग से निभाया और चमार कौम का नाम भी रौशन किया। उसकी वीरता के चर्चे अलीगढ़ और उसके आस–पास के क्षेत्र में आज भी सुनने को मिलते हैं। उस पर बाद में मुकदमा चला और 1807 में फांसी दे दी गई।

इस कड़ी में अगला प्रमुख नाम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली तहसील के गांव कुवरपुर में पैदा होने वाले बांके चमार का है, जिसको पकड़ने के लिए सन् 1857 में अंग्रेजों ने पचास हजार रूपये का इनाम रखा था वह उस जमाने की बात है, जब दो पैसे वालों को भी बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और आज भी अच्छे खासे धन–सम्पन्न व्यक्ति को दो पैसे वाला कहा जाता है, यह एक मुहावरा बन गया है। लोगों को तब पैसा देखने को नहीं मिलता था। इस प्रकार आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आज डेढ़ सौ साल पहले अंग्रेजों की नजर में पचास हजार की इनामी विद्रोही कितना बड़ा क्रांतिवीर रहा होगा।

वीरांगना झलकारी बाई चमार जाति की उपजाति कोरी से थी। उसने व उसके पति ने हजारों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया उसकी शक्ल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। इस कारण उनकी अनुपम बहादुरी का श्रेय झलकारी को न मिलकर लक्ष्मीबाई को मिला। एटा के चेतराम चमार तथा बल्लू मेहतर ने 26 मई, 1857 को अंग्रेजों के साथ सौरों के मुठभेड़ में अद्‌भुत बहादुरी दिखाई। दोनों को लड़ाई के बाद पकड़े जाने पर तुरंत गोली से उड़ा दिया गया था।

चमारों की उपजाति पासियों में से वीरा पासी 1857 में राजा बेनी माधव को जेल से निकालकर भागा था।

30 मार्च, 1917 को रोलेट एक्ट का विरोध करने पर रामचन्दर चमार व रामकिशन चमार अंग्रेजों की गोली से घायल हुए।

**गोरखपुर अभिलेखों में स्वतन्त्रता सेनानी**

श्री अध्योया चमार, गरीब चमार, नौहर चमार, फलई चमार, बिरजा चमार, मेड़ी चमार, मेढ़ई–निवासी रघुनाथ चमार, रामजस, रामसरण आदि गोरखपुर निवासियों की अंग्रेजों से बगावत करने पर सजाएँ हुई और फांसी लगी।

भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में साहसिक भूमिका निभाने वाले चौरा–चौरी कांड के नायक रमापति चमार को कौन नहीं जानता? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से हमदर्दी जताते हुए इस कांड की निन्दा की थी और इसके विरोधस्वरूप अपना असहयोग आंदोलन भी स्थगित कर दिया था। अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में रमापति चमार की सरपरस्ती में हजारों चमारों की भीड़ ने चौरा–चौरी थाने पर आग लगा दी थी, जिसमें 23 सिपाहियों की जलने से मौत हो गई थी।

श्री डी.सी. डिन्कर ने अपनी पुस्तक ''स्वतन्त्रता संग्राम में अछूतों का योगदान'' में उल्लेख किया है–अंग्रेजों ने इस कांड में सैकड़ों दलितों को गिरफ्तार किया। 228 दलितों पर सेशन सुपुर्द कर अभियोग चला। निचली अदालत ने 172 दलितों को फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय की ऊपरी अदालत में अपील की गई। ऊपरी अदालत ने 19 को फांसी तथा 14 को आजीवन कारावास दिया। शेष को आठ–आठ, पांच–पांच वर्ष की जेल हुई। 2 जुलाई, 1923 को 18 अन्य दलितों के साथ चौरा–चौरी कांड के नायक रमापति चमार को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इन महान क्रांतिवीरों ने चमार कौम का सिर गर्व से ऊँचा कर दिया।

चौरा–चौरी कांड के फांसी तथा जेल की सजा पाने वाले चमार जाति के अन्य क्रांतिकारी निम्न थे–

**अमर शहीद सम्पति चमार** – गांव–थाना, चौरा–गोरखपुर, चौरा–चौरी कांड के धारा 302 के तहत 1923 में फांसी।

**क्रांतिकारी अयोध्या चमार सुपुत्र महंगी चमार**– ग्राम मोती पाकड़ थाना चौरा, जिला–गोरखपुर, चौरा–चौरी कांड में धारा 302 के तहत पांच वर्ष की कड़ी सजा।

**क्रांतिकारी गरीब चमार सुपुत्र महंगी चमार**–ग्राम रेवती बाजार, थाना चौरा–चौरी, जिला–गोरखपुर, चौरा–चौरी कांड में धारा 302 के तहत 1924 में पांच वर्ष का कठोर कारावास।

**क्रांतिकारी कल्लू चमार सुपुत्र सुमन चमार** – गोगरा, थाना–झगहा, जिला–गोरखपुर, चौरा–चौरी कांड में धारा 302 के तहत पांच वर्ष की कड़ी सजा।

**क्रांतिकारी गरीब चमार सुपुत्र महंगी चमार** – ग्राम रेवती बाजार, थाना चौरा–चौरी, जिला–गोरखपुर, चौरा–चौरी कांड में धारा 302 के तहत 1924 में पांच वर्ष की कड़ी सजा।

**क्रांतिकारी नोहर चमार सुपुत्र देवीदीन चमार**– गोरखपुर चौरा–चौरी कांड में धारा 302 के तहत 6 वर्ष का कठोर कारावास।

**क्रांतिकारी फलई चमार सुपुत्र सुमन चमार**– गांव व थाना–चौरा, चौरा–चौरी कांड में धारा 302 के तहत 1921 में 5 वर्ष की सजा। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो अपील के बाद बदल दी गई।

**क्रांतिकारी बिरजा चमार सुपुत्र धवल चमार**– गांव–डुमरी, थाना–चौरा, चौरा–चौरी कांड में धारा 302 के तहत 1923 में 5 वर्ष की कड़ी सजा।

**क्रांतिकारी मंडी चमार सुपुत्र मुरली चमार**– गांव–डुमरी, थाना–चौरा, चौरा–चौरी कांड में धारा 302 के अन्तर्गत 1922 में 5 वर्ष की सजा।

**क्रांतिकारी मेढई चमार सुपुत्र बुधई चमार**–गोरखपुर, चौरा–चौरी काण्ड में धारा 302 के तहत 5 वर्ष की सजा।

इनके अलावा भी–खिलाफत आन्दोलन, 1920 पर सजा पाए व्यक्ति जिनके नाम निम्न हैं – सर्वश्री मिठाई, ठेलू, गजाधर, कल्लू, मोहन, परागीलाल, रामप्रसाद, तोताराम, जोधा आदि सभी चमार थे।

**20 मार्च, 1930 के कांड के बलिदानी**– बलदेव प्रसाद, सुचेतराम, पूरण, बिन्देश्वरी, पूरन, परागीलाल, कन्धई, रमई, रघुबीर, रामदुलारे, उमराव, कांतिवीर गोपीदास, रामदुलारे, टीकाराम, राम बक्श, रामलखन, सकटू, शांति प्रसाद, छेदई, मोहनलाल, छतरपाल, पूरनमल, बलदेव सिंह, पिल्लर, अमीचन्द, रामप्रसाद खीरी निवासी सभी जाति से चमार थे। खीरी निवासी ही फब्बल, रैदास, पन्नालाल, अयोध्या, कमले, घुम्मन, दुगी धानुक, धनपत नौकापुर निवासी, बनवारी, मीकूपुर– इटावा निवासी, हरदयाल, रामलाल, आदि चमार इटावा व कानपुर निवासी थे।

**1930 के आन्दोलन में जेल–यात्रा करने वाले** – शिवरतन आत्मज श्री झाऊ लाल चमार, बिछलपुर निवासी, हथगांव, फतेहपुर निवासी ने 1930 के आन्दोलन में जेल–यात्रा की। घासी जाटव, नागी टोला, कन्नौज फर्रूखाबाद निवासी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 6 माह की सजा पाई। क्रांतिवीर दर्शन आत्मज लोचन चमार, तिलकापुर कन्नौज निवासी, दुलारे नत्थु, कल्ला, मिट्ठू, बुलाकी, भीमसेन, मुल्ला, ननकू आदि फर्रूखाबादी

**सेवा में,**

**नाम** .....

**पता** .....

.....

.....

थे। साहेबदीन, रामदयाल, ललनू, लोहारी, कालीचरन, सुब्बा, हुकमचन्द, होरी, खैराती तथा गजाधर प्रसाद सीतापुर निवासी सभी चमार थे।

1942 के भारत छोड़ों आन्दोलन के क्रांतिवीर चमार–अमर शहीद मैंकूलाल पुत्र श्री पन्ना चमार हाजीपुर–सीतापुर निवासी था। वह बहादुर 1932 के मोतीलाल बाग कांड में शहीद हुआ। शिवधन, निवासी–ग्राम पहाड़ीपुर, मधुवन, आजमगढ़ ने भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 में 15 अगस्त को मधुबन थाना पर प्रातः 10 बजे हल्ला बोला। अंग्रेजों ने गोली चला दी गोलीगांड में शहीद हुए। अमर शहीद झाऊलाल जाटव, सागर सराय मुरादाबादी रिखई, छुटकई, रामचन्द्र, देवरिया निवासी, ननकऊ इलाहाबाद निवासी थे। राम सुभग–गांव–नेबरी–बलिया, उत्तर प्रदेश निवासी ने संघर्ष किया। हरी चमार, रामजन्म, विद्यापति, धेला दुसाध बलिया निवासी, शिवधन–आजमगढ़ निवासी, सन्तू लक्ष्मण–राजस्थानी सन्नू पंचम रायबरेली के रहने वाले चमार ही थे।

बसन्तलाल, मजसिंह आजाद, अवतार, बैजू, जौनपुर, गोकुल पासी, कल्लू चमार जौनपुर निवासी, संताराम–जाटव मौजा बारा, तहसील सदर–आगरा से छिबनु चमार, बिरना–वाराणसी, सजावार, सुमेरराम लाल–थानापुर, वाराणसी वाले ने 10 साल की सजा पाई। सुखदेव वाराणसी ने चार साल की सजा पाई। छज्जू ने 13 नवम्बर, 1945 तक सजा पाई। रामखिलक, महावीर, जियउ चमार की सजा हुई। गाजीराम चमार, लाल कुंआ निवासी, जवाहिर चमार हरदोई से, रामशंकर, रविदासी हरिया चमार, सुपुत्र श्री साहू राम, गांव पांचली खुर्द, जिला मेरठ से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 में 18 माह की सजा पाई।

अयोध्या बाबू, दुलारे, गंगादीन, हुलसी, जगन्नाथ, नंदी, नत्थुराम, टीकाराम, मंगल आदि जालौन निवासी सभी चमार को फांसी लगी। देवी हमीरपुर जालौन–निवासी को सजा हुई।

**अमर शहीदों का–भारत सरकार अभिलेख से प्राप्त परिचय**– मुण्डा, मालदेव, सांठे, सिंहराम, सुखराम, सावराय आदि बिहार प्रान्त निवासी सजायाफ्ता। आन्ध्र प्रदेश से 75 चमार नेता व कार्यकर्त्ता बन्दी बने। बंगाल में 15 चमार नेता व कार्यकर्त्ता बलिदान हुए। अमर शहीद चमरू, अमर शहीद नरसिंह उड़ीसा निवासी बलिदान हुए।

यहाँ पर जिनके नामों का उल्लेख किया गया है, इनके अतिरिक्त भी पूरे देश में चमार समाज के लाखों लोगों ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जिसे अंग्रेज 1857 का गदर की संज्ञा दिए हैं, उसमें तथा उसके बाद निर्णायक आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया, फांसी के फन्दे पर झूले, सश्रम कारावास, काला–पानी भोगा, लाठी गोलियां खाई, उन सबके नाम यहां देने की बजाय आगे किस प्रकार इस जुझारू कौम का सम्मान बढ़े, कैसे आर्थिक प्रगति हो, इस पर ही सारा ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है।

आजादी की लड़ाई में चमार के अलावा पासी, दुसाध, जाटव, भंगी बाल्मीकि तथा रविदास आदि दलित जातियां पीछे नहीं रहीं। इस सच्चाई की पुष्टि करते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 20 सितम्बर, 1944 को कहा था कि भारत की आजादी पर दलितों की भक्ति किसी से कम नहीं है।

**साभार :**
**चमार जाति इतिहास और संस्कृति**
**पेज संख्या 94 से 108 तक**
**एस.एस. गौतम**

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।